वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

एन्ट्रिक्स ANTRIX

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण

श्री सी.एम साने, संयुक्त सचिव (वित्त)
श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री पी.एस.राघवन
श्री कमल बाली
डॉ. अजीत टी कलघाटगी

इसरो नामित निदेशकगण

श्री आर उमामहेश्वरन
श्री वी किशोरनाथ (31.01.2020 तक)
श्री के सेतुरामन

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
#32/1, वशिष्ट पैराडाइज, द्वितीय तल
प्रथम मंदिर रोड, 11 वाँ क्रॉस
मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560 003

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बेंगलूरु-560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु-560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल रोड के निकट
बेंगलूरु-560 094

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर	8
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	9
वार्षिक विवरणी सार	15
वर्ष 2019-20 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	21
लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र रिपोर्ट	29
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'क'	33
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ख'	35
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ग'	38
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	39
तुलनपत्र	41
लाभ तथा हानि लेखा	43
नकद प्रवाह विवरणी	44
एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	46
वित्तीय विवरणी के नोट	48
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	85

सी.एम.डी की ओर से

जिस प्रकार देश में अंतरिक्ष व्यवसाय किया जा रहा है उस पर हाल ही में सरकार द्वारा किए गए सुधारों का ख़ासा प्रभाव पड़ने वाला है। हालाँकि, दूरसंचार सहित अधिकांश व्यापारिक क्षेत्र अतीत में अविनियमित हुए परन्तु सुरक्षा कारणों से अंतरिक्ष क्षेत्र का विनियमन जारी रहा। अंतरिक्ष क्रियाकलापों से संबंधित नियामक परिदृष्यों में वैश्विक परिवर्तन और उसके परिणामस्वरूप माँग में वृद्धि के चलते व्यावसायिक अंतरिक्ष या न्यूस्पेस के आगमन से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार संपोषित आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत हुई है। भारत भी इससे प्रभावित हुआ है। कई स्टार्ट अप ने भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में अपने व्यवसाय आरंभ किए हैं। कई कॉर्पोरेट भी अंतरिक्ष को नए व्यावसायिक प्रक्षेत्र के रूप में उत्सुकता भरी निगाह से देख रहे हैं। अंतरिक्ष सेवाओं के वर्तमान प्रयोक्ता भी क्षमता की कमी और कठिन विनियमन के चलते अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कठिनाई महसूस करते थे। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जिसप्रकार व्यवसाय किया जा रहा था उसमें भी इन कारणों से परिवर्तन की माँग उठी। मुझे आज भारत सरकार को इस बात के लिए बधाई देने का सुअवसर मिला है कि भारतीय अंतरिक्ष को सही रास्ते पर लाने और इसके सही आर्थिक सामर्थ्य को उजागर करने के लिए समयोचित और दूरगामी प्रभाव वाले सुधार लागू किए गए हैं।

इस भयावह वैश्विक महामारी, कोविड-19, ने अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और एन्ट्रिक्स भी इसका ख़ामियाजा भुगत रहा है। ग्राहक ऋणमुक्ति की गुहार लगा रहे हैं और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आशा के अनुरूप, उद्योग की स्थिति फिर से सामान्य होगी और आने वाले दिनों में अंतरिक्ष व्यवसाय पुन: फलेगा-फूलेगा।

पिछले वर्ष भी, अंतरिक्ष विभाग ने व्यापार की पुन:संरचना की है, जिसकारण एन्ट्रिक्स की व्यापारिक साझेदारी काफ़ी कम हुई है। इसके चलते अगले वर्ष के राजस्व पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक इसी समय घोषित नए सुधार कार्यक्रमों से हमें अतीत में आपूर्ति आधारित एकाधिकार व्यवसाय के चलन की जगह माँग आधारित व्यवसाय संरचना स्थापित करने की अनुमति मिलेगी। इससे एन्ट्रिक्स को अंतरिक्ष व्यवसाय में सीधे प्रवेश करने और बाज़ार की संभावनाओं को तलाशने का अवसर मिलेगा। एन्ट्रिक्स, वाणिज्यिक तरीके से इसरो की व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रस्ताव रखती रही है। कुछ प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए थे। इसकी स्थापना के बाद पहली बार एन्ट्रिक्स को माँग के दोहन और स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा। आगे सुनहरा अवसर है !

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित **अड़ाइसवीं** वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

कंपनी का व्यापार पिछले वर्ष के ₹ 1,63,966.87 लाख की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ₹ 1,44,350.42 लाख था। पिछले वर्ष के ₹ 26,549.22 लाख की तुलना में कर पश्चात् लाभ ₹ 22,064.25 लाख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

मुख्यत: सरकारी पहल और डिजिटल इंडिया कार्यक्रमों के चलते देश की सैटकॉम माँग में वृद्धि हुई है- इनमें से कुछ - भारतनेट परियोजना का दूसरा चरण, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन बैंकिंग अंतरण, 5 जी सेवाओं की शुरुआत, भारतीय मुख्यभूमि एवं अन्य प्रायद्वीप के बीच बिना दरार के संयोजन, उत्तर-पूर्वांचल क्षेत्र तथा जम्मू एवं कश्मीर आदि में संयुक्त रक्षा सहायता। सरकार द्वारा हाल ही में चल अनुप्रयोग में अंत:उड़ान संयोजन (आइएफसी) की अनुमति मिली है। परन्तु, देश में इसकी शुरुआत अभी बाकी है- मूलत: उपस्कर एवं प्रमाणन हेतु वायुयान में शामिल अधोकाल के कारण। नौवहन संयोजन अन्य वृद्धिसूचक क्षेत्र है। जनवरी 2020 के दौरान, जीसैट 30 उपग्रह के प्रमोचन के साथ इन्सैट 4 ए के सभी सी एवं केयू बैण्ड प्रेषानुकर सफलतापूर्वक बदल दिए गए हैं तथा अगले 15-17 वर्षों के लिए इस 83 डिग्री पूर्व कक्षीय आवंटित स्थान से डी.टी.एच एवं टी.वी सेवाएँ सुनिश्चित की गई हैं । यद्यपि, उपग्रह संयोजन की लागत अभी स्थलीय नेटवर्क से अधिक है, तथापि कंपनी आश्वस्त है कि उभरती तकनीकें यथा- 5जी, आइओटी एवं एमटूएम उपग्रह सेवाएँ भारत के सेल्युलर बैकहॉलिंग एवं ग्रामीण/दूरदराज के क्षेत्रों में मूलत; बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अच्छी बात यह है कि उपग्रह बैण्ड पट्टी के दाम भी विश्व स्तर पर गिर रहे हैं|

वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए अतिरिक्त ~14 प्रेषानुकर का प्रावधान किया है एवं इन्सैट/जीसैट तथा विदेशों से पट्टे पर लिए गए उपग्रहों, दोनों से ~34.4 टी.एक्स.पी सौंपे गए हैं। मार्च 2020 तक इन आबंटनों के साथ, भारतीय प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए इन्सैट/जीसैट प्रणाली में 191 से अधिक प्रेषानुकर एवं विदेशी प्रचालकों से पट्टे पर लिए गए 87 प्रेषानुकर का प्रावधान किया गया है।

अंतरिक्ष खण्ड प्रभार से व्यापार में कमी आने के बाद भविष्य के राजस्व और कंपनी के लाभ पर वास्तविक प्रभाव पड़ने वाला है।

आपकी कंपनी ने कनाडा स्थित मेसर्स एक्सैक्टअर्थ कंपनी से सीमित निविदा के आधार पर दो वर्षों के लिए अंतरिक्ष आधारित ए.आइ.एस (स्वचालित पहचान प्रणाली) लेकर भारतीय नौसेना की आश्यकताओं की पूर्ति की है|

उपग्रह संचार आम आदमी के जीवन को बड़े और बेहतर पैमाने पर प्रभावित कर रहा है-मनोरंजन के लिए, बैंक की एटीएम सुविधा के उपयोग के लिए, दूरस्थ शिक्षा, कठिन दिनों में समाचार का सीधा प्रसारण, दूरस्थ चिकित्सा इत्यादि। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दोस्तों, परिवारों, विद्यालयों, चिकित्सकों, ग्राहकों से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन संपर्क ने बड़ी भूमिका निभाई है और आपकी कंपनी ने भारती एयरटेल, ह्यूज इंडिया, नेल्को इत्यादि जैसे संयोजन प्रदाता को उपग्रह क्षमता प्रदान किया है। उपग्रह की इंटरनेट सेवाओं ने लाखों व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं परिवारों को ऑनलाइन शिक्षा, व्यापारिक सहयोग एवं संपर्क के साधन, दूरस्थ स्वास्थ्य एवं संकटकालीन सरकारी अद्यतित जानकारी प्रदान की है। इस उद्योग को 'आवश्यक उद्योग' का नाम दिया गया है जिसका आशय है कि लॉकडाउन आदेश के बावजूद संचालन जारी है|

हालाँकि, कुल मिलाकर,और उद्योगों की अपेक्षा उपग्रह उद्योग की स्थिति इस वैश्विक महामारी काल में भी काफ़ी अच्छी रही है, फिर भी, इस उद्योग के कुछ खण्ड औरों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होंगे - यथा अंत:उड़ान संयोजन, वीसैट बाज़ार, वाणिज्यिक डीएसएनजी संचालन आदि। दूसरी ओर, ब्रॉडबैण्ड एवं सरकारी क्षेत्र स्थिर हैं और लगातार वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में, आपकी कंपनी इन क्षेत्रों की अतिरिक्त बैण्डपट्टी की आवश्यकता पूरी करेगी|

एल.ई.ओ उपग्रह समूह को उपयोग में लाने वाली वैश्विक ब्रॉडबैण्ड सेवाएँ, सैटकॉम में एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है जिसे असैनिक और सैनिक उपयोग में लाए जाने की प्रबल क्षमता है| इन सेवाओं की पहुँच और आपूर्ति-लागत इनकी वर्तमान लागत से बहुत कम होने की संभावना है। इन सेवाओं की अन्य अभिवर्धित विशेषता है,

निम्न गुप्तता जिससे सीधे संचालन/क्रियाकलापों को सक्षम बनने की संभावना है। आपकी कंपनी, इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर नज़र गड़ाए हुए है और भविष्य के व्यापारिक अवसरों के लिए कुछ सक्षम संचालकों के साथ संपर्क में है|

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एलईओपी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। इस्ट्रैक एवं एम.सी.एफ के भू-स्टेशन के उपयोग से यूरोप के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी एवं टीटीसी सहायता प्रदान की गई थी |

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, उपप्रणाली, उपग्रह प्रणाली एवं परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है। आपकी कंपनी ने इसरो में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के द्वारा सामरिक प्रयोक्ताओं को विशेष सामग्री की आपूर्ति की सुविधा प्रदान की है |

आपकी कंपनी, भारतीय ग्राहक के लिए उपग्रह मौसमविज्ञान संबंधी आँकड़ा प्रापण एवं प्रसंस्करण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रयासरत है। आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटिना की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है | आपकी कंपनी ने भारतीय उद्योग के माध्यम से नाविकयुक्त वाहन अनुवर्तन उपकरण का निर्माण पूरा कर लिया है । नाविक आधारित परियोजनाओं को चलाने के लिए विश्वसनीय एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू हो चुका है । हालाँकि, प्रणाली समाकलक की सूचीबद्धता पूरी कर ली गई है, परन्तु नाविकयुक्त वी.टी.डी निर्माता की सूचीबद्धता अभी प्रगति पर है।

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी, रिसोर्ससैट-2, कार्टोसैट-2एस एवं ओशनसैट-2 उपग्रहों से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह हेतु, आँकड़ा उत्पादों तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन करती रही है। वर्ष के दौरान, तीन उपग्रहों से दो अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन प्रचालन को जारी रखा गया | आपकी कंपनी ने विश्वभर में आइआरएस उत्पादों को प्रचारित करने के लिए पाँच पुन: विक्रेता करार पर हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक पुन: विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके अलावा, आपकी कंपनी, वैश्विक एवं भारतीय ग्राहकों के लिए भूस्थानिक एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर आँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी विशेष प्रयोक्ताओं को उनकी माँग के आधार पर विदेशी उपग्रह प्रचालकों से अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) आँकड़े प्रदान करती रही है| वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विशेष प्रयोक्ताओं से ~₹30 करोड़ की धनराशि की आँकड़ा प्रतिबिंबिकी की माँग को पूरा किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपनी नई व्यापारिक योजनाओं के माध्यम से विशेष प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताएँ प्रदान करने पर ध्यान दे रही है|

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, व्यापारिक परिचर्चा एवं अवसर तलाशने हेतु विभिन्न वैश्विक गंतव्यों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने एन्ट्रिक्स का दौरा किया |

इन दौरों से व्यापारिक संबंधों को और अधिक मज़बूत करने में मदद मिलेगी तथा परस्पर लाभ हेतु व्यापारिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के पत्रांक 5/2/2016 दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹680 लाख (पिछले वर्ष ₹8500.00 लाख) के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी पर ₹8500.00 लाख लाभांश के तौर पर दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। यह 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए 38.52% करोपरान्त लाभ इंगित करता है|

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है |

आगामी दृष्टिकोण

कोविड-19 के फैलने के कारण अंतरिक्ष सहित सभी व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। हमारे ग्राहकों ने अंतरिक्ष खण्ड प्रभार में छूट की गुहार लगाई है और अंतरिक्ष विभाग इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। एन्ट्रिक्स ने, कोविड के बाद-व्यापारिक प्रगति हेतु- इस काल को अध्ययन के तौर पर उपयोग में लाया है|

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.20 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.19 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	1,50,262.45	1,70,881.31
कुल व्यय	1,20,557.97	1,28,961.88
मूल्यह्रास एवं कर पश्चात् लाभ	**29,865.54**	**42,071.06**
घटाइए: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान घटाइए: आस्थगित कर	161.06 10,579.32 (2,943.93)	151.63 16,557.17 (1,183.32)
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**22,069.09**	**26,545.58**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	(4.84)	3.64
कुल व्यापक आय	**22,064.25**	**26,549.22**
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**22,064.25**	**26,549.22**

एन्ट्रिक्स, भविष्य के व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से भारतीय सामरिक ग्राहकों के लिए आँकड़ा-व्यापार तैयार करने हेतु प्रमुख उपग्रह सेवा संचालक से बातचीत जारी रखे हुए है। इस संबंध में, कंपनी, एन्ट्रिक्स में एक आँकड़ा केंद्र स्थापित करने और विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने तथा कार्यक्रमों तक पहुँच बनाने पर विचार कर रही है। फिलहाल, एन्ट्रिक्स, एक व्यावसायिक कोष्ठ बनाने के लिए विस्तृत ब्योरे और अपेक्षित निवेश पर विचार कर रही है|

भविष्य की नीतियों और विनियामक वातावरण के साथ निजी क्षेत्र को भागीदारी के समान अवसर देने की माननीया वित्तमंत्री, भारत सरकार की हाल की घोषणाओं के बाद, कंपनी, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों, जैसे- निजी उपग्रह से सेवा प्रदान करने के लिए अपने दरवाज़े खोल रखी है। इस संबंध में, चूँकि, एन्ट्रिक्स पहले से ही भारतीय सामरिक क्षेत्र को सेवा प्रदान करने के लिए अधिदेशाधीन है, इसलिए कंपनी, विशेषकर सामरिक ग्राहकों की आवश्यकताओं के मद्देनज़र उपग्रह समूह के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है|

उपग्रह उपप्रणाली क्षेत्र में, भारतीय उद्योगों में प्रौद्योगिकी के अभाव पर विचार करते हुए कंपनी, भारत स्थित किसी "स्पेस पार्क" में किराये के प्रारूप पर निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए सोच रही है। यह पहल, कंपनी और स्टार्ट-अप को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा उत्पादों, जिसका वैश्विक स्तर पर विपणन किया जा सके, के विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

पिछले वर्ष भी, अंतरिक्ष विभाग ने व्यापार की पुन:संरचना की है, जिसकारण एन्ट्रिक्स की व्यापारिक साझेदारी काफ़ी कम हुई है। चूँकि, एन्ट्रिक्स की संरचना और व्यापार अंतरिक्ष विभाग द्वारा निर्धारित होते हैं और अभी के हालात में अन्य स्रोत भी सीमित हैं, इसकारण अगले वर्ष के राजस्व पर भी इसका अप्रत्याशित प्रभाव पड़ना लाज़िमी है।

निदेशकगण

आपकी कंपनी के बोर्ड में नौ(9) निदेशकगण हैं अर्थात् दो(2) प्रकार्यात्मक निदेशकगण, दो(2) सरकार द्वारा नामित निदेशकगण, तीन(3) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण एवं दो (2) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशकगण, सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशद् अनुभव वाली नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं।

श्री वी. किशोरनाथ, ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशक, अपनी सेवा अधिवर्षिता के कारण दिनांक 31 जनवरी, 2020 को निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं।

बोर्ड, श्री वी. किशोरनाथ, के कंपनी के निदेशक के तौर पर अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है ।

यह कंपनी, भारत सरकार की है । इस कारण, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते हैं ।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक और घोषणा

कंपनी ने, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से ये घोषणाएँ प्राप्त की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथावर्णित स्वतंत्रता के मानदंड पूरे करते हैं। सांविधिक प्रावधानों के तहत दिनांक 30 अक्तूबर, 2019 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आहूत हुई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण के संदर्भ में कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 134(3) (सी) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में यह पुष्टि की जाती है कि:

i. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2020 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथा संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण और अच्छे कॉर्पोरेट शासन हेतु समकालीन माँग के साथ कंपनी के प्रत्येक निर्णय में कॉर्पोरेट शासन के मूलभूत सिद्धांत और दर्शन का अक्षरश: पालन किया जाता है। कंपनी में, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार आचार संहिता और नैतिकता लागू की गई हैं। वार्षिक आधार पर सभी संबंधित सदस्यों द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मुख्य कार्यकारी द्वारा इस बाबत की गई घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट शासन पर विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सी.पी.एस.ई के पुनरीक्षित वर्गीकरण मानक के अनुरूप डी.पी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 100% अंक मिला है।

प्रशिक्षण एवं अभिवृद्धि

वर्ष के दौरान, कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रतिभा परिमार्जित होगी एवं उनकी जीवन-वृत्ति में प्रगति हो सकेगी।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं.39 के तौर पर संलग्न है। संबंधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे।

सतर्कता प्रक्रिया

बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है। यह कॉर्पोरेट शासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है। हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है। हमारे पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्ति नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है ।

एक बाह्य लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट्ट, सनदी लेखाकार को, प्रतिवेदन-काल के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य सौंपा गया है। इससे प्रणाली एवं नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। उनकी रिपोर्ट की समीक्षा बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षण समिति द्वारा भी की गई है। सुधार-कार्रवाई की पहल के साथ आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट की परिचर्चा प्रबंधन के साथ हुई है जिसकी बोर्ड की लेखापरीक्षण समिति ने भी समीक्षा की है। लेखापरीक्षण समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है।

बोर्ड की बैठक की संख्या

विवरण, कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है।

बोर्ड-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित बोर्ड-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

बोर्ड एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमश: बोर्ड की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए उपयोग करती है। कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी में, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उसके नियमों के तहत आंतरिक शिकायत समिति स्थापित है। आंतरिक शिकायत समिति की नीति, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से बचाव और रोकथाम तथा इस तरह की शिकायत दर्ज़ कराने की सुविधा प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 'लैंगिग उत्पीड़न की रोकथाम' विषय पर जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया था और आंतरिक शिकायत समिति की दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं। इस नीति के तहत कोई भी शिकायत नहीं मिली है। स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष अधिनियम के अनुरूप आवश्यक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई है।

वार्षिक विवरणी सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त वार्षिक विवरणी सार अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, पठ्य कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति बनाई है। सी.एस.आर एवं एस.डी समिति आवधिक अंतराल पर बैठक करके विचार-विमर्श करती है और सी.एस.आर पहल के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान करती है, साथ ही, जारी परियोजनाओं के कार्यों की गति और प्रगति की निगरानी करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एन्ट्रिक्स ने सी.एस.आर क्रियाकलापों पर ₹1,535.82 लाख की अब तक की सबसे बड़ी राशि ख़र्च की है।

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट ॲसोशिएट (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी. एस. आर समिति की संरचना शामिल है, अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 06 अगस्त, 2019 के पत्र सं. सीएवी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1) 324 द्वारा मेसर्स राव ॲसोशिएट. सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया |

आंतरिक लेखापरीक्षक: आपकी कंपनी ने मेसर्स ज्ञानोबा एवं भट, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए नियुक्त किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद शामिल की गई हैं।

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है।

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹64,899.77 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लाभांश, शुल्क एवं कर के रूप में ₹47,009.04 लाख की राशि का योगदान दिया है।

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

एन्ट्रिक्स, सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। वर्ष के दौरान, सूचना हासिल करने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। नागरिकों को सूचना देने के उद्देश्य से और कंपनी के दर्शन तथा कॉर्पोरेट शासन के भाग के तौर पर नियमित रूप से एन्ट्रिक्स की वेबसाइट को कंपनी के समाचारों एवं क्रियाकलापों से अद्यतित किया जाता है।

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की

अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

कार्य प्रबंधन हेतु, इसरो/अं.वि. के कार्मिकों के अलावा, एन्ट्रिक्स में कार्मिक के तौर पर कुल 17 स्थाई कार्मिक [वर्ग क: व्यापार खण्ड -06; वर्ग क: (प्रशासन) - 04; वर्ग ख: (प्रशासन) - 04; वर्ग ग: (प्रशासन) - 03] कार्यरत हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति चार थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स में, बोर्ड द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है और विभिन्न प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिम की चर्चा आंतरिक समीक्षा बैठक एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन बैठक में की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना शून्य है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग करती रही है।

राजभाषा का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो, इसलिए सभी चारों अनुभागों यथा - लेखा, प्रशासन, क्रय एवं व्यापार खण्ड को अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक उपयोग करने का दायित्व सौंपा गया है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। प्रभावी निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्मिकों के बीच द्विभाषी शब्दावली और शब्द एवं मुहावरे की पुस्तिका परिचालित की गई है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रति वर्ष 18 जुलाई एवं 18 दिसम्बर को तय समय-सारणी के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित होने वाली बैठक में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने स्वयं भाग लिया है।

कंपनी ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक चार बार आहूत की जिसमें कार्यसूची के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

आपकी कंपनी ने 03 कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण-सत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है जिसमें कार्मिकों को आवश्यक कौशल प्राप्त करने से लाभ हुआ है और इससे उन्हें राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने में मदद मिली है। कार्मिक विविध द्विभाषी प्रपत्र अपने उपयोग में लाते हैं और अपना हस्ताक्षर हिन्दी में करते हैं।

आपकी कंपनी की वेबसाइट हिन्दी और अँगरेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निरीक्षण अधिकारी, रजिस्ट्रार, पी.आर.एल द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक निरीक्षण निर्धारित समयावधि के भीतर संपन्न किए जाने की संभावना है|

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेती रही है।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं।

अनुलग्नक-03

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

	राशि ₹ लाख में		
विदेशी मुद्रा अर्जन	**एफ ई (यूएसडी)**	**राशि एफ ई (यूरो)**	**₹**
निर्यात	3,37,575.74	-	2,38,87,413.70
तकनीकी परामर्शिता	3,61,895.77	-	2,58,07,708.92
प्रमोचन सेवाएँ	1,68,410.00	5,17,078.07	5,14,47,555.24
अन्य सेवाएँ	2,18,919.36	-	1,58,27,114.00
कुल	**10,86,800.87**	**5,17,078.07**	**11,69,69,791.86**

	राशि ₹ लाख में		
विदेशी मुद्रा निर्गम	**एफ ई (यूएसडी)**	**राशि एफ ई (यूरो)**	**₹**
यात्रा	7,467.00	175.00	5,29,735.00
आयात की लागत	31,13,021.43	-	21,93,38,757.35
तकनीकी सेवाओं की लागत	6,99,51,579.56	-	4,97,79,05,366.12
अन्य सेवाओं के एवज़ में (विधिक)	2,35,917.37	69,300	2,20,19,929.00
अन्य भुगतान के एवज़ में	6,45,392.14	1,405.00	4,59,74,566.60
कुल	**7,39,53,377.50**	**70,880.00**	**5,26,57,68,354.07**

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं
उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का आश्वासन
1	नकद प्रवाह विवरणी में सी.एस.आर व्यय के प्रकटीकरण की समीक्षा।	31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी तैयार करते समय आवश्यक संशोधन किया गया है।
2	दिनांक 18.12.2019 के प्रबंधन के आश्वासन के अनुरूप समझौता निर्णय के परिणामस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया को मूलधन पर दिए जाने वाले ब्याज का प्रकटीकरण।	31मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है।
3	कानूनी सलाह लेने के बाद दिनांक 18.12.2019 के प्रबंधन के आश्वासन के अनुरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया हेतु आकस्मिक देयता से संबंधित विनिमय दर का उचित प्रकटीकरण।	कंपनी ने मेसर्स लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन, अभिकर्ता से कानूनी सलाह ली है और इस के आधार पर 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखा में आकस्मिक देयता से संबंधित विनिमय दर का प्रकटीकरण सलाह के अनुरूप किया गया है।
4	आइ.सी.ए.आइ द्वारा सी.एस.आर के बारे में जारी दिशानिर्देश नोट के अनुरूप सी.एस.आर एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप निधि की समीक्षा। (अनंतिम टिप्पणी-2)	वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणी में आवश्यक संशोधन किया गया है।
5	सेवा कर माँग से संबंधित आकस्मिक देयता की समीक्षा। (अनंतिम टिप्पणी-4)	सेवा कर माँग से संबंधित आकस्मिक देयता की समीक्षा की गई थी और तदनुसार सेवा कर माँग से संबंधित संशोधित आकस्मिक देयता को वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणी में प्रकट किया गया है।
6	इसरो/अंतरिक्ष विभाग के पदाधिकारियों के लिए कर्मचारी लाभ का प्रकटीकरण। (अनंतिम टिप्पणी-6)	इसरो/अंतरिक्ष विभाग के पदाधिकारियों के लिए कर्मचारी लाभ, जिसे आश्वासन अन्य व्यय के रूप में दिखाया गया था, को कर्मचारी लाभ के तौर पर पुन: वर्गीकृत किया गया है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त रिपोर्ट

1.1 कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. निदेशकमंडल

2.1. मंडल सदस्यों की संरचना और विवरण:

2.1.1. एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल के सदस्यगण अच्छा कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंडल में पर्याप्त संख्या में कार्यपालक और ग़ैर-कार्यपालक सदस्य शामिल हैं। मंडल में एक महिला निदेशक भी हैं। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की संरचना निम्नवत् हैं:

(क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण:

(i) श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ii) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

(ख) अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण:

(i) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग

(ii) श्री सी.एम साने, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग

(ग) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकगण:

(i) श्री पी.एस. राघवन, भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत्त)

(ii) डॉ. अजीत टी कलघाटगी, पूर्व-निदेशक (आर एवं डी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु

(iii) श्री कमल बाली, प्रबंध निदेशक, वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/नामित निदेशकगण:

(i) श्री आर उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो

(ii) श्री वी किशोरनाथ, सह निदेशक, वीएसएससी (31 जनवरी, 2020 तक)

(iii) श्री के सेतुरामन, उप निदेशक, यूआरएससी

2.1.2. कंपनी के वर्तमान संस्था विधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करते हैं। नियुक्त निदेशकगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र की नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं। कंपनी के इन निदेशकों में कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे थे या वर्ष के दौरान, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की पाँच समितियों के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया है जिनमें वे निदेशक रहे/रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक ने सात से अधिक कंपनी में निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया।

2.1.3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, पहले 5 वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उसके बाद सेवा-विस्तार काबीना की नियुक्ति समिति (एसीसी) की स्वीकृति से होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति आम तौर पर एसीसी द्वारा की जाती है, पहले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। इस बाबत कोई सेवा-विस्तार या पुनर्नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होती है।

3. **मंडल की बैठक एवं उनमें उपस्थिति:**

3.1. प्रति वर्ष कम-से-कम चार (4) बैठकों की सांविधिक आवश्यकताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत मंडल के सदस्यगण पाँच (5) बार बैठक में भाग ले चुके हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी मंडलीय बैठकों में निदेशकगण की औसत उपस्थिति 70% रही है। इन बैठकों की तिथि और निदेशकगण की उपस्थिति निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	बैठकों की सं	बैठकों की तिथि	मंडलीय सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	115	27.05.2019	7	7
2.	116	02.08.2019	10	6
3.	117	30.10.2019	10	7
4.	118	29.11.2019	10	7
5.	119	09.01.2020	10	6

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

3.2 मंडल के सभी सदस्यों ने मंडल में उनकी नियुक्ति के समय के बाद अपने मालिकाना, साझेदारी या किसी कंपनी में अपने वैयक्तिक, आधिकरिक और अन्य मौद्रिक संबंधों, चाहे वे निजी हों या अपने सगे-संबंधियों से जुड़ी हों, की जानकारी मंडल को दे रखी है। ऐसे प्रकटीकरण की पुनरुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। मंडलीय बैठक में किए गए ऐसे प्रकटीकरण निम्नवत् प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	संकाय/कॉर्पोरेट जिनसे निदेशक संबंध रखते हैं	संबंधों की प्रकृति
1.	श्री राकेश शशिभूषण	शून्य	-
2.	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	शून्य	-
3.	श्री सी एम साने	शून्य	-
4.	श्री आर उमामहेश्वरन	शून्य	-
5.	श्री के सेतुरामन	शून्य	-
6.	श्री पी एस राघवन	मेसर्स कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (दो विदेशी सहायक कंपनी सहित)	स्वतंत्र निदेशक
7.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	शून्य	-
8.	श्री कमल बाली	1. वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. वॉल्वो वित्तीय सेवा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 3. भारत में स्वीडिश वाणिज्यिक प्रकोष्ठ 4.ज़ेवियर प्रबंधन संस्थान 5. सनदी प्रबंधन लेखाकार संस्थान, लंदन 6. ज़ेवियर एमलियॉन वैश्विक व्यवसाय विद्यालय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त निदेशक अध्यक्ष एवं मंडल सदस्य निदेशक सदस्य, उद्योग परामर्शदायी, कार्यकारी सूची निदेशक
9.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-

3.3. वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों के बीच छ:(6) प्रस्ताव परिचालित किए गए।

4. आम बैठक:

4.1 पिछले तीन वर्षों में कंपनी की वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठकों की तिथि	बैठक का स्थान
25	2016-17	30-09-2017	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु - 560 094.
26	2017-18	26-09-2018	
27	2018-19	19-12-2019	

4.2. वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत कंपनी ने डाक मतपत्र के ज़रिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडलीय समितियाँ, उनकी सीमाएँ एवं उनकी बैठकें:

5.1. 31 मार्च, 2020 तक एन्ट्रिक्स की तीन (3) निम्नलिखित समितियाँ हैं:

5.2. लेखापरीक्षण समिति

5.2.1. प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशकमंडल द्वारा मौलिक लेखापरीक्षण समिति का गठन हुआ। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई), भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आमंत्रित में इसने कार्य करना आरंभ किया।

5.2.2. लेखापरीक्षण समिति, कंपनी अधिनियम, 2013; समय-समय पर यथा संशोधित डी.पी. ई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में उल्लिखित संदर्भ-शर्तों का अनुपालन करती है।

5.2.3. लेखापरीक्षण समिति, फिलहाल, तीन (3) सदस्यों यानी मंडल के तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों के साथ काम कर रही है। सांविधिक लेखापरीक्षक, निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। लेखापरीक्षण समिति के सभी सदस्यगण, विशेषकर अध्यक्ष के पास लेखाविधि का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता है। कंपनी की आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षण करने वाली बाहरी लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के साथ समिति नियमित रूप से संपर्करत रहती है और वित्त संबंधी मामलों का हिसाब-किताब रखती है।

5.2.4. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित लेखापरीक्षण समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री पी.एस. राघवन	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
4.	श्री के सेतुरामन	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.2.5. लेखापरीक्षण समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कार्यवाह संख्या दो(2) है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक कम-से-कम चार बार आहूत होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच समयांतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.2.6. लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र ग़ैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक जो लेखापरीक्षण समिति के सदस्य भी हैं, को डी.पी.ई के दिशानिर्देश एवं इण्ड ए.एस 24 के अंतर्गत यथा विचारित संबंधित पक्ष अंतरण हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किए गए हैं।

5.2.7. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति की दो(2) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 100% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र. सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	11	30.10.2019	3	3
2	12	09.01.2020	3	3

अनुलग्नक । ख में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5. 3 पारिश्रमिक समिति (आर.सी):

5.3.1. कार्यपालकों और कार्मिकों के लिए परिवर्तनीय वेतन के वितरण हेतु नियम प्रतिपादित कर निर्णय करने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को निदेशकमंडल द्वारा मौलिक रूप से इस समिति का गठन किया गया।

5.3.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित पारिश्रमिक समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि यासमिति में परिवर्तन
1.	श्री पी.एस. राघवन	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	29 नवम्बर 2019 से
4.	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.3.3. वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पाई।

5.4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति (सी.एस, आर एवं एस.डी):

5.4.1. अप्रैल 2010 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, मंडल द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति नामक एक समिति का गठन किया गया। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति के अनुरूप सी.एस.आर. क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं।

5.4.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री वी. किशोरनाथ	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	23 मार्च 2020 से
4.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.4.3. वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत सी.एस.आर एवं एस.डी समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 100% रही है। इन बैठकों के विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	11	02.08.2019	3	3
2	12	15.10.2019	3	3
3	13	30.10.2019	3	3
4	14	09.01.2020	3	3

अनुलग्नक । ख में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

6. व्यवसाय आचार संहिता एवं निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नैतिकता:

6.1 कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देश बनाते समय अप्रैल 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता का पुनरीक्षण किया। इस संहिता को एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अपनाया गया।

6.2 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं।

6.3 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा निम्नवत् है:

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा:

7.1 एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सभी मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ सदस्यों ने एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

8. मंडल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

8.1 एन्ट्रिक्स के मंडल के सदस्यगण वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशासन के विस्तृत और विविध अनुभव हैं। एन्ट्रिक्स उनकी दूरदर्शिता और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुई है। मंडल में शामिल किए जाने के बाद कंपनी के निष्पादन, व्यवसाय के प्रारूप, कॉर्पोरेट की योजना एवं भविष्य के दृष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मंडल/ समिति/अन्य बैठकों के दौरान व्यवसाय से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/ पेशेवर व्यक्तियों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नीति भी अपनाई है।

9. प्रकटीकरण:

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके परिजनों के साथ कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप वेतन, शुल्क, लागू अधिक लाभ के सिवाय किसी भी प्रकार की सामग्री और विशिष्ट प्रकृति के सामानों की लेन-देन नहीं हुई थी जिसकारण कंपनी के हित के साथ कोई भारी खिलवाड़ हुआ हो या कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 188 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई हो।

(ii) कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी कॉर्पोरेट कानून, नियम एवं विनियम के अनुपालन से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट मंडल के समक्ष सूचना एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति या अधिक्षेप नहीं डाले गए थे।

(iv) एक औपचारिक सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों या इसके अध्यक्ष के पास जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं गया है।

(v) कंपनी में लागू विद्यमान मान्य नियमों के सिवाय वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो मंडल के किसी सदस्य या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हो।

(vi) पिछले वर्ष के 2.12% की तुलना में इस वर्ष के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.35% रहे हैं। मंडल के सदस्यों या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यय में कोई अपव्यय नहीं पाया गया है।

(vii) वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो व्यवसाय के लिए नहीं किया गया हो। वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुए हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के संचालन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के सभी निर्देशों का अनुपालन कंपनी ने किया है।

10. प्रमाणपत्र:

10.1 प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रत्येक तिमाही में कॉर्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

11. संचार:

11.1 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसकी वेबसाइट :www.antrix.co.in पर प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं।

12. जोख़िम प्रबंधन नीति:

12.1 कंपनी के मंडल द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

13, लेखापरीक्षण योग्यता:

13.1 स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक - I (क)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	मंडल		लेखापरीक्षण समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	5	5	लागू नहीं	1
2	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	5	1	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री सी.एम साने	5	4	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्री संजय कुमार अग्रवाल	5	5	2	2
5	श्री पी.एस. राघवन	4	4	2	2
6	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	4	4	2	2
7	श्री कमल बाली	4	3	2	2
8	श्री आर उमामहेश्वरन	5	1	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री वी. किशोरनाथ	5	4	लागू नहीं	लागू नहीं
10	श्री के सेतुरामन	5	2	लागू नहीं	लागू नहीं

अनुलग्नक - I (ख)

वर्ष के दौरान मंडलीय समिति की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		आम बैठक	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं. जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	-	-	1	1
2	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	-	-	1	1
3	श्री सी.एम साने	-	-	1	1
4	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	1	1
5	श्री पी.एस. राघवन	-	-	1	1
6	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	4	4	1	1
7	श्री कमल बाली	-	-	1	-
8	श्री आर उमामहेश्वरन	-	-	-	-
9	श्री वी. किशोरनाथ	4	4	-	-
10	श्री के सेतुरामन	-	-	-	-

फॉर्म सं. एम.जी.टी.-9 *अनुलग्नक-1*

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. **पंजीकरण एवं अन्य विवरण**:

i) सी.आइ.एन.:- U85110KA1992GOI013570

ii) पंजीकरण तिथि: 28 सितम्बर, 1992

iii) कंपनी का नाम: एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv) कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग: शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण:
एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल.रोड
बेंगलूरु-560094

vi) क्या कंपनी सूचीबद्ध है: नहीं

vii) निबंधक एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हों - लागू नहीं

II. **कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप**:

\ कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) के 10 % या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा:-

क्रम सं	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एनआइसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) का प्रतिशत
1	प्रेषानुकर सेवाएँ	997319	60.07
2	उपग्रह	8802	28.28

III. **नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण-**

शून्य

IV. **शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल एक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूँजी विवरणी):)**

(i) वर्गानुरूप शेयर धारिता (लाख में)

शेयरधारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ.) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए)(1):-	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0

(2) **विदेशी**									
क) आप्रवासी भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङं.) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(ए)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता(ए)= (ए)(1)+(ए) (2)	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार/राज्य सरकार									
घ) उपक्रम पूँजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङं) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आइ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूँजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग(ए)(2):-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता(ए)= (ए)(1)+(ए) (2)									
2. ग़ैर-संस्थागत									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपए तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपए तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सी.जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग(ए+बी+सी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग(ए+बी+सी)	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता (लाख में)

क्र. सं	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	6.80	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	0
	कुल	6.80	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	0

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) (लाख में)

क्र. सं		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	**कंपनी के कुल शेयर का %**	**शेयर की सं.**	**कंपनी के कुल शेयर का %**
1.	वर्ष के आरंभ में	6.80	100%	6.80	100%
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	6.80	100%	6.80	100%

iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयरधारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर एवं ए.डी.आर के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा):

क्र. सं		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	पहले 10 प्रत्येक शेयरधारकों के लिए	**शेयर की सं.**	**कंपनी के कुल शेयर का %**	**शेयर की सं.**	**कंपनी के कुल शेयर का %**
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता:				

(v) निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. **ऋणग्रस्तता**

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
नवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii) प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. **निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक**

ए.प्रबंध निदेशक, पूर्णलालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू. टी.डी./प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		सीएमडी	**डीएफ**	**ईडी(प्र)**	**----**	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	44,91,700 7,54,885	26,69,413 4,24,584 -	- -		71,61,113 11,79,469
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य				
3.	स्वेट एक्विटी					
4.	कमीशन - लाभ के %के रूप में - अन्य, उल्लेख करें...					

5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें					
	कुल (ए)	52,46,585	30,93,997			83,40,582
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन					

बी. अन्य निदेशकगण के लिए पारिश्रमिक:

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि
	1. स्वतंत्र निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	2,80,000	2,80,000
		श्री पी एस राघवन	2,00,000	2,00,000
		श्री कमल बाली	1,40,000	1,40,000
	कुल (1)		**6,20,000**	**6,20,000**
	2. अन्य ग़ैर-सरकारी निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें		शून्य	
	कुल (2)	-	-	-
	कुल(बी)=(1+2)	-	6,20,000	6,20,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	89,60,582
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी/प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक

क्र. सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति			
		सीईओ	**कंपनी सचिव**	**सीएफओ**	**कुल**
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन		3,03,000		3,03,000
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ				
2.	स्टॉक विकल्प				
3.	स्वेट एक्विटी				
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख कर...				
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	कुल		**3,03,000**		**3,03,000**

VII. **शास्ति/दंड/संयोजित अपराध::**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति/दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी/ एन.सी.एल.टी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति					
दंड	शून्य				
संयोजित					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड	शून्य				
संयोजित					
सी.भुगतान नहीं करने वाले अधिकारी					
शास्ति					
दंड	शून्य				
संयोजित					

अनुलग्नक-2

वर्ष 2019-20 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. वर्ष 2019-20 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों सहित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा एवं एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों से संबंधित वेबलिंक का संदर्भ:

एन्ट्रिक्स के सी.एस.आर कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत का उद्भव सामाजिक संदर्भ के क्रियाकलापों/कार्यक्रमों जो दीर्घकालिक, सामाजिक रूप से स्वीकार्य एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन द्वारा समाज के संपूर्ण विकास में योगदान देने की दूरदर्शिता के साथ हुआ है।

एन्ट्रिक्स ने स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तता, कौशल विकास, दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में कई क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया है। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर. गतिविधियों का मुख्य केंद्रबिंदु दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है जिससे कालावधि विशेष में लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक संपन्नता के अभिवर्धन से समुदायों को लाभ मिले। ये सी.एस.आर कार्यक्रम एन.जी.ओ., न्यासों एवं सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर लागू किए गए हैं।

संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे के भीतर ही होती हैं और डी.पी.ई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं। कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ परिशिष्ट-2 (क) में उल्लिखित हैं:

2. सी.एस.आर समिति का स्वरूप:

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति मंडल सी.एस.आर नीति के क्रियान्वयन की समेकित निगरानी एवं सी.एस.आर क्रियाकलापों के तहत संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी है। इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं:

i.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी, स्वतंत्र निदेशक	-	अध्यक्ष
ii.	श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एन्ट्रिक्स	-	सदस्य
iii.	श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	-	सदस्य

3. कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ:

कंपनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ निम्नवत् हैं:

क्र. सं.	वर्ष	निवल लाभ/(हानि) (₹ लाख में)
1.	वर्ष 2016-17 के लिए निवल लाभ	33,888.19
2.	वर्ष 2017-18 के लिए निवल लाभ	32,316.91
3.	वर्ष 2018-19 के लिए निवल लाभ	42,613.95

4. वित्तीय वर्ष के दौरान सी.एस.आर पर किए गए व्यय के विवरण:

क) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सी.एस.आर पर किए गए व्यय के विवरण निम्नवत् हैं

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
1.	वर्ष के आरंभ में कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली अग्रेनीत राशि	922.82
2.	वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु व्यय की जाने वाली राशि	725.00
3.	सी.एस.आर हेतु व्यय की जाने वाली कुल राशि	1,647.82
4.	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	1,535.82
5.	वर्ष की समाप्ति पर व्यय नहीं की गई राशि	112.00

ख) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि के तरीके का विवरण अनुलग्नक 2(क) में वर्णित है।

ग) एन्ट्रिक्स, सी.एस.आर निधि के लिए अलग से एक बैंक खाता खोले हुए है और विगत वर्ष के दौरान सी.एस.आर हेतु आबंटित राशि से सी.एस.आर निधि के लिए व्यय नहीं की गई राशि, भविष्य के सी.एस.आर भुगतान के लिए सुरक्षित रखी जाती है।

घ) वर्ष के आरंभ में सी.एस.आर की व्यय नहीं की गई राशि काफ़ी बची रह गई थी। किन्तु, कंपनी के केंद्रित प्रयास के चलते व्यय नहीं की गई सी.एस.आर राशि का एक बड़ा भाग व्यय किया गया। फिर भी, मार्च, 2020 के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते वर्ष के अंत तक 112.00 लाख की राशि व्यय नहीं हो पाई। कंपनी, व्यय नहीं हो पाई बची राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय किए जाने के लिए आशान्वित है।

ङ) सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सी.एस.आर के लक्ष्यों एवं नीति के अनुरूप हो रहे हैं।

हस्ता/-
(डॉ. अजीत टी कलघाटगी)
स्वतंत्र निदेशक एवं
अध्यक्ष, सी.एस.आर समिति

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 19 जून 2020

ग्राम अभिग्रहण कार्यक्रम हेतु एन्ट्रिक्स को प्रदत्त विशेष पुरस्कार ग्रहण करते हुए एन्ट्रिक्स के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राकेश शशिभूषण

अधिक उपयोग किए जाने वाले वेम्बनाड जल-परिदृष्य (केरल) में दीर्घकालिक आजीविका हेतु पारिस्थितिक संरक्षण

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन, प्रकृति की रक्षा और ग्रामीण संपन्नता की अभिवृद्धि के संरक्षण एवं दीर्घकालिक विकास पहल के लिए अपनी प्रमुख प्रतिबद्धता के तौर पर अशोका पारिस्थिकी एवं पर्यावरण अनुसंधान न्यास (ATREE; www.atree.org), के साथ सहयोग कर रही है। इस सी.एस.आर का लक्ष्य केरल के अधिक उपयोग किए जाने वाले वेम्बनाड जल-प्लावित क्षेत्र को संरक्षण प्रदान कर इस पर आश्रित रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन में अभिवृद्धि करना है। इस दलदली जमीन वाले क्षेत्र के समक्ष छ: चुनौतियाँ हैं। यथा: (i) झील-प्रदूषण (ii) झील-सुधार (iii) आक्रामक जीव (iv) मौसम परिवर्तन (v) असंधारणीय संसाधन का उपयोग (vi) आजीविका मामले, इन्हें संबोधित किया जाता है। यह परियोजना स्थानीय पंचायत एवं राज्य सरकार के सहयोग तथा स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी से लागू किया जाता है।

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं:

i) कृषि विद्यालय के माध्यम से उत्तरदायी कृषि व्यवहार का प्रोन्नयन । इससे किसानों को रासायनिक खाद के उपयोग में 30% और कीटनाशक तथा फफूँदीनाशक के उपयोग में लगभग 100% की कमी करने में सहायता मिली है।

ii) काली सेना मक्खी डिंभक कार्बनिक कचड़ा प्रबंधन। इससे हजारों घरों को न केवल कचड़ा प्रबंधन में सहायता मिली है बल्कि इसे मुर्गी और मछली की खुराक के रूप में बदलने में भी सहायता मिली है।

iii) "मुहम्मोदयम", एक कार्यक्रम जो मुहम्मा को एक आदर्श दलदली ज़मीन वाले पंचायत के रूप में आगे ले जाने के लिए है, के भाग के रूप में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं:

   क) सुरक्षित और पर्यावरण-हितैषी वैकल्पिक उत्पादों जैसे-कपड़े के गद्दे से बनी माहवारी कप के प्रचार द्वारा देश के पहले पंचायत के रूप में मुहम्मा को सिंथेटिक सैनिटरी पैड मुक्त पंचायत बनाने के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना ने देश भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। हजारों महिलाओं ने इस पुन: उपयोगी और सुरक्षित विकल्पों को उपयोग में लाया है जिससे 1 लाख सिंथेटिक सैनिटरी पैड का उपयोग कम हो चुका है जो अंतत: झील को की गंदा करता।

   ख) मुहम्मा में स्थापित सोशल इनोवेशन लैब (एसआइएल) ने ग्रामीण महिलाओं और नवयुवतियों को पुराने पहने हुए कपड़े से बदले हुए उत्पाद तथा उग आये खर-पतवार से मूल्य-संपोषित उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने में सहायता की है।

   ग) अलपुझा की जीवनरेखा नहर थे और यही कारण है कि इसे "पूर्व का वेनिस" के उपनाम से जाना जाता है। किन्तु, पथ परिवहन अधिक मशहूर हुआ, इस कारण ये नहर केवल मछुआरों द्वारा ही उपयोग में लाए गए और अब अनदेखी के चलते समाप्त होने के कगार पर हैं। एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन के सहयोग और झील संरक्षण मंच (मछुआरा संघ) की सक्रिय भागीदारी से मुहम्मा पंचायत में अब सारे नहरों को नवजीवन प्रदान किया गया है।

इस परियोजना में, गाँव के 25 विद्यालयों में संचालित होने वाले पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा विद्यालय के 2500 बच्चे और 50 शिक्षक नियमित रूप से शामिल हैं। ज़िला आपदा प्रबंधन अधिकरण द्वारा 150 विद्यालयों से 300 शिक्षकों को आपदा तैयारी प्रशिक्षण दिया गया है। यह परियोजना भूमि-उपयोग में परिवर्तन, जल-गुणवत्ता और झील की जैव-विविधता की निगरानी करता है और अनायास उगे पौधों तथा मछलियों पर भी ध्यान रखता है।

कुल मिलाकर, यह परियोजना झील के क्षय को बचाकर ग्रामीण आजीविका को बढ़ाता है और लम्बे समय तक दीर्घकालिकता को सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण के अनुकुल संवेदनशील समुदाय का सृजन करता है।

राष्ट्रीय समाचारपत्रों में कुछ सुर्खियाँ:

द हिन्दू : केरल में एक सामाजिक उद्यम ने दीर्घकालिकता एवं महिला सशक्तिकरण को एक मंच दिया

द वायर : केरल ग्राम पंचायत सिंथेटिक सैनिटरी पैड मुक्त पहली पंचायत बनने की ओर

द वीक : कैसे केरल का मुहम्मा पहला सिंथेटिक सैनिटरी पैड मुक्त गाँव होने की योजना बना रहा है

ग्लोबल सिटीजन : इस भारतीय गाँव में महिलायें सुरक्षित और लम्बे समय तक टिकने वाले माहवारी उत्पादों को तेजी से अपना रही हैं।

द हिन्दू : माहवारी से उत्पन्न कचड़े का मुकाब्बला करने के लिए परियोजना

इंडिया टाइम्स, हिन्दी: वाह! भारत का पहला सिंथेटिक पैड-फ्री गांव बनने जा रहा केरल का मुहम्मा

सी.एस.आर क्रियाकलाप

सरकारी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, चिक्काहेज्जाजी, डोडबल्लपुर ताल्लुक, बेंगलूरु ग्रामीण ज़िला में बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालय शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण

सरकारी उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, चिक्काहेज्जाजी, डोडबल्लपुर ताल्लुक, में बालक और बालिकाओं के लिए विद्यालय शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण-एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु की एक सी.एस.आर पहल

स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण के बारे में अनुभव साझा कार्यक्रम एन्ट्रिक्स, बीएआइएफ, केनरा बैंक, शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार एवं पंचायत के सदस्यों ने भाग लिया

महिलाओं में नई खोज करने और उद्यम सृजन करने हेतु अपनी पहचान बनाने के लिए मुहम्मा में एटीआरईई सीईआरसी द्वारा सामाजिक नवाचार प्रयोगशाला की शुरुआत की गई थी जो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर सकती है। इस प्रयोगशाला में कचरे से 16+ उत्पाद विकसित किए गए थे जिन्हें बाज़ार में बेचा गया था।

एटीआरईई सीईआरसी ने जलपाडोम आवास अध्ययन परियोजना के भाग के रूप में दलदली ज़मीन की रक्षा के तौर-तरीकों की पहचान करने के लिए युवा मस्तिष्क को प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्र दलदली ज़मीन सम्मेलन का आयोजन किया।

जलकुंभी के सहभागी प्रबंधन के लिए एटीआरईई सीईआरसी द्वारा एक प्रारूपित परियोजना के माध्यम से जलकुंभी से वैकल्पिक मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने की संभावनाएँ प्रदर्शित की गईं।

परिशिष्ट-2(क)

वित्तीय वर्ष 2019 -20 में परियोजनाएँ एवं शीर्ष जिनके अंतर्गत सी. एस. आर लागत राशि व्यय की गई निम्नलिखित हैं (₹ लाख में)

क्र. सं	सीएसआर परियोजना या क्रियाकलाप	परियोजना के क्षेत्र	परियोजना/ कार्यक्रम का स्थान	लागत-राशि (बजट)	वर्ष के लिए सी.एस.आर व्यय			प्रत्यक्ष या एजेंसी द्वारा व्यय की गई राशि
					व्यय राशि	की गई प्रतिबद्धता	कुल	
1	मुख्यमंत्री राहत कोष - केरल	आपदा प्रबंधन	अखिल केरल	50,00,000	50,00,000	-	50,00,000	एजेंसी: केरल सरकार
2	पीएम केयर	कोविड-19	अखिल भारत	5,00,00,000	5,00,00,000	-	5,00,00,000	एजेंसी: पीएम केयर, ट्रस्ट
3	डोड्डबल्लपुर में विद्यालय शौचालय एवं चहारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	बेंगलूरु ग्रामीण ज़िला, कर्नाटक	34,77,264	5,93,092		5,93,092	एजेंसी: सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
4	सारक्कल गाँव में सरकारी प्राथमिक पाठशाला का कायाकल्प	शिक्षा	कन्याकुमारी ज़िला, तमिलनाडु	59,80,000	11,80,000		11,80,000	एजेंसी: सीएमजी/ इसरो मुख्यालय
5	सेंट जोसेफ लोअर प्राइमरी विद्यालय, तिरुवनंतपुरम, केरल में रसोईघर का निर्माण	शिक्षा	तिरुवनंतपुरम ज़िला, केरल	31,00,000	25,44,283		25,44,283	एजेंसी: सीएमजी/ वीएसएससी/इसरो
6	विद्यालय के बच्चों हेतु दोपहर के भोजन की आपूर्ति हेतु वाहन का प्रावधान	शिक्षा	मथुरा, उत्तर प्रदेश	26,58,572	26,58,572		26,58,572	एजेंसी: अक्षय पात्र फाउंडेशन, एनजीओ
7	वेम्बनाड, केरल में दलदल संरक्षण कार्यक्रम	पर्यावरण	एलेप्पी ज़िला, केरल	2,72,72,000	21,43,893	1,64,08,871.00	1,85,52,764	एजेंसी: पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में अनुसंधान हेतु अशोका न्यास (एटीआरईई), एनजीओ
8	ज़िला अस्पताल, धारवाड़ में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	धारवाड़ ज़िला, कर्नाटक	29,63,691	11,85,476		11,85,476	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
9	श्रवणहीन बच्चों के लिए श्रवणयंत्र उपचारित करना	स्वास्थ्य देखभाल	कर्नाटक	32,00,000	-	23,000.00	23,000	एजेंसी: एलिमको, सीपीएसयू
10	श्रवणहीन बच्चों के लिए श्रवणयंत्र उपचारित करना	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल कर्नाटक	31,77,000	7,94,250	-	7,94,250	एजेंसी: एलिमको, सीपीएसयू

11	क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास एवं आइजीआइसीएच द्वारा पाँवफिरा रोग से ग्रसित बच्चों का उपचार	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल कर्नाटक	14,56,000	2,59,000	44,000.00	3,03,000	एजेंसी: क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास, एनजीओ
12	के.आर. अस्पताल, मैसूरु में सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव	स्वास्थ्य देखभाल	मैसूरु ज़िला, कर्नाटक	30,00,000	24,00,000		24,00,000	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
13	सरकारी सार्वजनिक अस्पताल, शाहपुर, यादगीर ज़िला में सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	यादगीर ज़िला, कर्नाटक	30,00,000	24,00,000		24,00,000	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
14	रुधिर प्रति संयोजन हेतु योगदान	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल पश्चिम बंगाल	1,21,200	1,21,200		1,21,200	एजेंसी: भारतीय रक्त कैंसर एवं संबद्ध रोग संघ, कोलकाता
15	ज़िला अस्पताल, तुमकूरु में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	तुमकूरु ज़िला, कर्नाटक	30,00,000	6,00,000	24,00,000.00	30,00,000	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
16	दिव्यांग अनाथों के लिए सहायक सामग्री	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल तमिलनाडु	21,500	21,500	-	21,500	एजेंसी: दिव्यांग हेतु यूनाइटेड अनाथालय, एनजीओ
17	विरुधुनगर, तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में जन स्वास्थ्य एवं निवारक औषधि के लिए उपकरण	स्वास्थ्य देखभाल	विरुधुनगर ज़िला, तमिलनाडु	28,00,000	5,60,000	22,40,000.00	28,00,000	एजेंसी : तमिलनाडु सरकार
18	क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास एवं आइजीआइसीएच द्वारा पाँवफिरा रोग से ग्रसित बच्चों का उपचार	स्वास्थ्य देखभाल	अखिल कर्नाटक	40,00,000		40,00,000.00	40,00,000	एजेंसी: क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास, एनजीओ
19	यादगीर सरकारी ज़िला अस्पताल में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण	स्वास्थ्य देखभाल	यादगीर ज़िला, कर्नाटक	30,00,000	6,00,000	24,00,000.00	30,00,000	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
20	अप्पापारा में पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना	स्वास्थ्य एवं पोषण	वायनाड ज़िला, केरल	45,22,000		45,22,000	45,22,000	एजेंसी: एचएलएल, सीपीएसयू
21	सिरसी, कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा सहायता प्रणाली की स्थापना	आधारभूत संरचना विकास	सिरसी ज़िला, कर्नाटक	29,98,523	14,99,262	14,99,261.00	29,98,523	एजेंसी : सीएमजी/ इसरो मुख्यालय
22	श्री क्षेत्र स्वादि दिगम्बर मठ, सौंदा में सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना	आधारभूत संरचना विकास	सिरसी ज़िला, कर्नाटक	12,00,000	6,00,000	6,00,000.00	12,00,000	एजेंसी : सीएमजी/ इसरो मुख्यालय

23	तेलंगाना के शादनगर के 'अन्नरम गाँव' में ग्रामीण सड़क संयोजन प्रदान करना	आधारभूत संरचना विकास	तेलंगाना	1,50,00,000		18,62,961.00	18,62,961	
24	तुमकूरु ज़िला के सिरा ताल्लुक के ब्रम्मसांद्रा गाँव में आदर्श ग्राम विकास	ग्राम विकास	तुमकूरु ज़िला, कर्नाटक	3,81,13,327	69,38,850	78,83,322.00	1,48,22,172	
25	तेलंगाना बंदीगृह के बंदियों के लिए कौशल विकास चरण-2	कौशल विकास	अखिल तेलंगाना	8,88,264	54,604		54,604	एजेंसी: बीएआइएफ, एनजीओ
26	तेलंगाना बंदीगृह के बंदियों के लिए कौशल विकास चरण-2	कौशल विकास	अखिल तेलंगाना	25,78,000	12,88,404	12,89,596.00	25,78,000	
27	पूर्व सांस्कृतिक संघ द्वारा केरल और कर्नाटक में बाढ़ सहायता	समाज कल्याण	अखिल केरल एवं कर्नाटक	25,000	25,000		25,000	एजेंसी: कारागार प्राधिकरण, तेलंगाना
28	कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	समाज कल्याण	अखिल कर्नाटक	50,00,000	50,00,000		50,00,000	एजेंसी: पूर्व सांस्कृतिक संघ, एनजीओ
29	सुलभ इंटरनेशनल द्वारा पुलिस बाज़ार शिलौंग में सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	शिलौंग, मेघालय	15,00,000	8,64,520		8,64,520	एजेंसी : कर्नाटक सरकार
30	सुलभ इंटरनेशनल द्वारा कठुआ ज़िला, जम्मू और कश्मीर में घरेलू शौचालय का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	कठुआ ज़िला, जम्मू एवं कश्मीर	37,00,000	7,40,000		7,40,000	एजेंसी : एनईसैक/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
31	अतिरिक्त सचिवालय, शिलौंग के निकट सामुदायिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	शिलौंग, मेघालय	24,12,051	21,70,845	2,41,206.00	24,12,051	एजेंसी : सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
32	हिरेमठ संस्थान विद्यापीठ न्यास में मल निस्तारण संयंत्र का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	भाल्की बीदर ज़िला	32,00,000		2,00,000.00	2,00,000	एजेंसी : एनईसैक/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ
33	मेलवा गाँव, जोधपुर ज़िला, राजस्थान में दूसरे चरण में, 126 घरेलू शौचालय एवं 4 सामुदायिक शौचालय तथा सामुदायिक बैठका का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	जोधपुर ज़िला, राजस्थान	30,65,000	12,26,000		12,26,000	एजेंसी : एनआरएससी/इसरो
34	एपीएमसी यार्ड, यादगीर में सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	यादगीर ज़िला, कर्नाटक	30,00,000	6,00,000	24,00,000.00	30,00,000	एजेंसी : आरआरएसएससी, जोधपुर/इसरो एवं सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, एनजीओ

35	हिरेमठ संस्थान विद्यापीठ न्यास में मल निस्तारण संयंत्र का निर्माण	स्वच्छ भारत मिशन	भाल्की बीदर ज़िला	29,96,000	14,98,000	14,98,000.00	29,96,000	एजेंसी: एनआरएससी/इसरो
36	हाशिए पर रह रही महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यक्रम हेतु पुनर्वास एवं दीर्घकालिक जीवनयापन अवसरों का सृजन	महिला सशक्तिकरण	अखिल केरल	36,69,600	8,69,865	27,99,735.00	36,69,600	एजेंसी: केरल महिला सामख्या सोसाइटी (केएमएसएस), तिरुवनंतपुरम, सोसाइटी
37	महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कागज़ से प्लेट बनाने वाली मशीन की आपूर्ति एवं स्थापना	महिला सशक्तिकरण	ओडिशा	7,75,000	-	7,75,000.00	7,75,000	एजेंसी: परिचय फाउंडेशन, एनजीओ
38	28.2.2020 को तीसरे कर्नाटक सी.एस.आर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीयन शुल्क	उपरिव्यय		8,731	8,731		8,731	प्रत्यक्ष
39	निदेशक, सी.एस.आर से संबंधित वेतन	उपरिव्यय		17,38,782	17,38,782	-	17,38,782	प्रत्यक्ष
40	तुमकूरु ज़िला के सिरा ताल्लुक के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में कक्षाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागत	शिक्षा	बेंगलूरु ग्रामीण		-	18,76,000.00	18,76,000	एजेंसी : बीएआइएफ
41	बेंगलूरु के सरकारी विद्यालयों में प्लास्टिक जागरुकता कार्यक्रम	पर्यावरण	बेंगलूरु ग्रामीण	4,35,000	-	4,35,000.00	4,35,000	एजेंसी: एचएसीएफ (एनजीओ)
	कुल			**22,36,17,505**	**9,81,84,128.65**	**5,53,97,952.00**	**15,35,82,080.65**	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

मत

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2020 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं तब समाप्त हुए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (अब से "स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी" के रूप में मान्य) |

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 में यथावर्णित, पठ्य 31 मार्च, 2020 तक कंपनी की परिस्थिति संबंधी कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015, इसकी वित्तीय आय, नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है।

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (एस.ए) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है । उन मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह अपना मंतव्य देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता

हम स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से ₹ 5,35,876.53 लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं 45(i)(क)(iii) एवं 47(घ) के ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

तथ्यात्मक महत्ता

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) नोट संख्या 53 एवं 54-ग्राहकों/विक्रेताओं से बाकी बची शेष राशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं ग्राहकों/विक्रेताओं के पास बची शेषराशि के साथ मिलान करने पर पड़ने वाला प्रभाव।

(ख) नोट संख्या 45(i)(क)(i)के साथ पठ्यनोट संख्या 55 - विवादित कर से संबंधित कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए संभावित ब्याज/शास्ति शामिल नहीं करने के बारे में।

इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण, बोर्ड रिपोर्ट की अनुसूची सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारक संबंधी सूचना शामिल हैं, परन्तु स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी और उसके साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व दूसरी सूचना को पढ़ना है, और, ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि अन्य सूचना स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण के दौरान हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा ग़लत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है।

अगर, अपने द्वारा किए गए काम के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई ग़लतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को उजागर करने की आवश्यकता है। हमें इस बारे में कुछ भी उल्लेख करना नहीं है।

अन्य बातें

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के इण्ड ए.एस.स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण के भाग के तौर पर, हमने नोट सं 61 में वर्णित समायोजन को भी लेखापरीक्षित किया जो दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए पिछले वर्ष भी कंपनी की वित्तीय विवरणी में सुधार और पुनरुक्ति के लिए लागू किए गए थे।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन एवं शासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत वर्णित भारतीय लेखाविधि मानकों के साथ-साथ सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांत के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, एक्विटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है। इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड.ए.एस. भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक ग़लत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त इण्ड.ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है।

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए कंपनी का निदेशक-मंडल जिम्मेदार है, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार हैं।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी वित्तीय विवरणी आर्थिक ग़लत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए.के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक ग़लत विवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है। ग़लत विवरण का उद्भव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक ग़लत विवरण से जोख़िमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़लत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोख़िम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।
- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं । कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।
- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता

और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।

- प्रकटीकरण एवं क्या वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इस तरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके सहित वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में ग़लत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित ग़लत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों की बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगनेवाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़लत प्रभाव पड़नेवाला है जिससे सार्वजनिक हित लाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "परिशिष्ट-ख" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
   (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है।
   (ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है।
   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है।
   (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133, में जारी संबंधित पठ्य अधिनियमों के अनुरूप है।
   (ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान एवं अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित मामले दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है।
   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "परिशिष्ट-क" में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें।
   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट

में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

i. कंपनी ने अपनी स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों में पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है। स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 47 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी दीर्घावधि संविदा में शामिल नहीं हुई है जहाँ लागू होने वाले नियम या लेखाविधि मानकों के तहत यथापेक्षित आर्थिक हानि जिसकी स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में प्राप्यता की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी किसी व्युत्पन्न संविदा में भी शामिल नहीं हुई है।

iii. कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए।

कंपनी की लेखा और अभिलेख की जाँच के आधार पर, जिसे हम उचित मानते हैं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश एवं उपनिर्देश के आधार पर अधिनियम की धारा 143(5) की शर्तों के अनुरूप, हम "परिशिष्ट-ग" के तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक: 19 जून 2020
यूडीआइएन:20026171एएएएबीजे 5967

"अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2(च) के परिशिष्ट "क" से संबंधित 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा-संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2020 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय लेखा के लेखा परीक्षण से संयोजित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है । इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशानिर्देश नोट) पर आइ.सी.ए.आइ. द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 (10) के तहत विहित लेखा परीक्षण मानक के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए थे, और सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए थे, के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोख़िम का आकलन करना और आकलित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लतबयानी से उत्पन्न जोख़िम का आकलन शामिल है । हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के वित्तीय नियंत्रण से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं । और, (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो ।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के

अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोख़िम भरा है। इस कारण, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

मत

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी आर्थिक पहलुओं में, विशिष्ट मत के आधार के अनुच्छेद में वर्णित उन बातों के सिवाय कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक:19 जून 2020
यूडीआइएन:20026171एएएबीजे 5967

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के परिशिष्ट "ख" से संबंधित हमारी रिपोर्ट

(i) **स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में**:

(क) कंपनी, अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रही है।

(ख) प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल स्थाई परिसंपत्ति के वस्तुगत सत्यापन के लिए कंपनी के पास नियमित वार्षिक योजना है। वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्थाई परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया गया है और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति की जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) **वस्तुसूची के संदर्भ में**

वस्तुसूची के संदर्भ में, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उचित अंतराल पर वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया है और वस्तुगत सत्यापन के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई थी।

(iii) **ऋण एवं अग्रिम**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल अन्य पक्षों को नहीं दिया है। तदनुसार, उक्त आदेश के उपबंध 3(iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(iv) **ऋण, निवेश एवं गारंटी**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं दिया है, अतएव आदेश के उपबंध 3(iv) लागू नहीं होते हैं।

(v) **जमा राशि की स्वीकृति**

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तक एवं इसके अंतर्गत बने नियमों तथा अधिसूचित सीमा तक कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतएव, आदेश के उपबंध (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(vi) **लागत अभिलेख का अनुरक्षण**

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी के किसी भी व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए लागत अभिलेख के अनुरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार, आदेश के उपबंध 3(vi) के प्रावधान कंपनी के लिए नहीं होते हैं।

(vii) **सांविधिक बकाया से संबंधित**

(क) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा तथा अभिलेखों की अपनी जाँच के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, बिक्रीकर, कर्मचारी कल्याण उपकर सहित ग़ैर-विवादित सांविधिक बकाये को सामान्यतया नियमित तरीके से जमा कराती रही है। तुलनपत्र की तिथि से देय तिथि तक 6 महीने की अवधि से अधिक के किसी सांविधिक बकाये के भुगतान में कोई देरी नहीं देखी गई है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, सेवाकर (वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V) एवं बिक्री कर (कर्नाटक वैट), कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं:

(viii) **ऋण/उधारी का पुन: भुगतान**

हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी ने न तो वित्तीय संस्थानों, सरकार, बैंकों से कोई राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है। इसप्रकार, आदेश के उपबंध 3(viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते है।

(ix) **सार्वजनिक प्रस्ताव**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव ऋण पत्रक सहित द्वारा कोई उगाही नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से आवधि ऋण नहीं लिया है।

(x) **कंपनी या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान,

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि (₹लाख में)	बकाये की अवधि	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	2,663.93	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण(सी.ई.एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	753.47	01 अक्तूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	3,636.18	01 अक्तूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी), बेंगलूरु
2	कर्नाटक वैट अधिनियम,2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	20,595.56	01अप्रैल, 2005 से 31जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
3	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च,2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
4	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
5	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	20,577.15	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
6	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
7	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
8	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
कुल			**1,51,494.02**		

कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है या कोई धोखाधड़ी देखी गई या रिपोर्ट की गई है। तदनुसार, आदेश के उपबंध 3(x) के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xi) **प्रबंधकीय पारिश्रमिक**

यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, अतएव, अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसप्रकार आदेश के उपबंध 3(xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(xii) **निधि कंपनी**

हमारे मत से, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। इसप्रकार, आदेश के उपबंध 3(xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, अत: कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।

(xiii) **संबंधित पक्षों के साथ अंतरण**

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लिखित किए गए हैं।

(xiv) **अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन**

कंपनी ने, वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन या पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है । इसप्रकार आदेश के उपबंध 3(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xv) **ग़ैर नकदी अंतरण**

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार,

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में यथासंदर्भित, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई ग़ैर नकदी अंतरण नहीं किया है।

(xvi) **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के तहत पंजीकरण**

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 - I अ के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक:19 जून 2020
यूडीआइएन:20026171एएएएबीजे 5967

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु परिशिष्ट-ग

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए हमारे समसंख्यक रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आइटी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित है? यदि हाँ, तो आइटी से अलग लेखाविधि अंतरण प्रक्रिया पर लेखा के एकीकरण सहित वित्तीय प्रभाव पड़ने के कारणों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।	कंपनी सभी वित्तीय एवं लेखाविधि अंतरण के सभी अभिलेखों के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है । टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बाहर से की जाती हैं: 1. विदेशी प्राप्ति एवं देयता का स्थानांतरण; 2. कर्मचारी लाभ व्यय की गणना 3. बिक्री बीजक का सृजन ये अंतरण, स्थापित उचित प्रणाली द्वारा नियंत्रित एवं अनुवीक्षित हैं।
2	क्या कृपया कंपनी द्वारा ऋण की फिर से अदायगी में अक्षम होने के कारण वर्तमान उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को छोड़ देने या बट्टे खाते में डालने के लिए पुन: संरचनाबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अतएव यह अनुच्छेद लागू नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि उचित लेखाविधि तैयार शर्तों के अनुरूप उपयोग किए गए हैं? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कंपनी ने, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए न तो कोई निधि प्राप्त की है और न ही कोई प्राप्तियाँ बाकी हैं।

कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक:19 जून 2020
यूडीआइएन:20026171एएएएबीजे 5967

दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2020 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। दिनांक 19.06.2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ़ से 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागज़ात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, कुछ भी विशेष मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिसकारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या परिशिष्ट तैयार की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

स्थान:नई दिल्ली
तिथि: 04 सितम्बर, 2020

हस्ता/-
(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

विस्तृत वित्तीय विवरणी

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआइएनCIN: U85110KA1992GOI013570
31.03.2020 तक तुलन पत्र

राशि ₹ लाख में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
परिसंपत्ति:			
(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4	1,140.93	1,253.07
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	4क	63.71	67.49
(ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	5	266.96	.
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	0.67	0.84
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	28,171.32	17,950.64
(ङ.) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	8	14,905.60	57,317.28
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्ति	33	3,170.77	226.84
कुल दीर्घकालीन परिसंपत्ति		47,719.96	76,816.16
(2) चालू परिसंपत्ति			
(क) सूची	9	39.76	81.54
(ख) वित्तीय संपति			
(i) निवेश	10	.	3,995.60
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	11	1,18,037.02	82,294.01
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	12	133.15	2,296.57
(iv) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक बचत	13	52,213 .30	59,936.93
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	14	5,005.73	6,547.41
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	15	22,560.58	20,995.31
कुल चालू परिसंपत्ति		1,97,989.54	1,76,147.37
कुल परिसंपत्ति		**2,45,709.50**	**2,52,963.53**
एक्विटी एवं देयता:			
(1) **एक्विटी**			
(क) एक्विटी शेयर पूँजी	16	680.00	680.00
(ख) अन्य एक्विटी	17	1 ,58,976.88	1 ,47,159.83
कुल एक्विटी		1,59,656.88	1,47,839.83
(2) **देयता**			
दीर्घकालीन देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) अन्य वित्तीय देयता	18	-	14.90
(ख) प्रावधान	19	50.56	27.39
(ग) अन्य दीर्घकालीन देयता	20	250.71	6,906.21
कुल दीर्घकालीन देयता		301.27	6,948.50
चालू देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) व्यापार देय	21		
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		11.16	41.30
(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि		68,617.24	64,877.12

(ii) अन्य वित्तीय देयता	22	6,029.20	12,845.16
(ख) अन्य चालू देयता	23	10,531.75	20,405.96
(ग) प्रावधान	24	562.00	5.66
कुल चालू देयता		85,751.35	98,175.20
कुल एक्विटी एवं देयता		**2,45,709.50**	**2,52,963.53**

संलग्न नोट सं. 1 से 62 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान पंजीयन
सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

पंजीकृत पता: अंतरिक्ष भवन,न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु-560094

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

राशि ₹ लाख में

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
I	प्रचालनों से राजस्व	25	1,44,350.42	1,63,966.87
II	अन्य आय	26	5,912.03	6,914.44
III	**कुल आय** (I +II)		**1,50,262.45**	**1,70,881.31**
IV	**व्यय**:			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	27	1,05,330.44	1,23,256.06
	(ii) पूरे माल की खरीदारी	28	21.25	124.87
	(iii) माल की सूची में परिवर्तन	29	41.78	104.60
	(iv) कर्मचारी लाभ व्यय	30	490.21	569.09
	(v) वित्त लागत	30क	22.34	-
	(vi) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय	4,4क & 5	161.06	151.63
	(vii) अन्य व्यय	31	14,490.89	4,755.63
	कुल व्यय (IV)		**1,20,557.97**	**1,28,961.88**
V	**विशिष्ट मद एवं कर पूर्व लाभ** (III-IV)		29,704.48	41,919.43
VI	कर व्यय:		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V-VI)		29,704.48	41,919.43
VIII	कर व्यय:			
	(i) चालू कर:			
	(अ) वर्तमान वर्ष		10,773.13	15,342.93
	(ब) पिछले वर्ष		(193.81)	1,214.24
	(ii) आस्थगित कर	32	(2,943.93)	(1,183.32)
IX	**चालू प्रचालनों से उक्त अवधि के लिए लाभ** (VII-VIII)		**22,069.09**	**26,545.58**
X	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		(6.47)	5.60
	क (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		1.63	(1.96)
XI	ख (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	ख (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		(4.84)	3.64
XII	**उक्त अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)(उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय शामिल)**		**22,064.25**	**26,549.22**
XIII	प्रति एक्विटी शेयर आय (चालू प्रचालन के लिए):			
	(1) मौलिक/समायोजित (₹)		3,245.45	3,903.76
	(2) अवमिश्रित (₹)		3,245.45	3,903.76

संलग्न नोट सं. 1 से 62 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव ऑसोशिएट
सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान पंजीयन
सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171,
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त),
डीआइएन 08200144,
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

पंजीकृत पता: अंतरिक्ष भवन,न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु-560094

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

राशि ₹ लाख में

	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**29,697.99**	**41,925.03**
समायोजन:		
वित्त लागत (पट्टा देयता)	22.34	-
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	161.07	151.63
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	6,729.20	1,905.98
निवेश की बिक्री पर हानि	-	166.04
पट्टा-भूमि के किराए के लिए सरकारी अनुदान	-	22.69
अप्राप्य विदेशी मुद्रा (वायईसीटी)	9.25	392.70
सरकारी अनुदान से आय	(22.69)	(22.69)
म्यूचुअल निधि से लाभांश आय	(154.87)	(828.18)
बैंक जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(5,365.24)	(5,457.36)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**31,077.05**	**38,255.84**
परिसंपत्ति एवं देयता में परिवर्तन		
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी - ऋण	0.17	(0.36)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(10,220.69)	57.11
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	42,411.68	7,541.08
वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी	41.78	104.60
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(42,472.21)	(36,206.62)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	1,541.68	(1,935.43)
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(1,565.28)	(6,954.02)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	(14.90)	
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	(6,904.68)	(28,887.69)
अन्य दीर्घकालीन प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	23.18	(76.21)
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	3,709.98	8,871.76
अन्य चालू वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	(6,815.96)	806.27
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	(9,896.99)	14,895.27
अन्य चालू प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	556.33	3.94
प्रचालन-जनित नकद	**1,471.14**	**(3,524.46)**
घटाइए: आयकर प्रदत्त (निवल)	(10,577.68)	(16,559.13)
प्रचालनीय क्रियाकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकद	**(9,106.54)**	**(20,083.59)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेषराशि में (वृद्धि)/कमी	7,723.63	24,975.30
स्थाई परिसंपत्ति की बिक्री/(ख़रीद)	(39.67)	(83.98)
निवेश की बिक्री/(ख़रीद)	3,995.60	(1,468.71)
निवेश की बिक्री से हानि	-	(166.04)
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	154.87	828.18
बैंक में जमा से प्राप्त आय	5,365.24	5,457.35
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	**17,199.67**	**29,542.10**

सी.वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पट्टा देयता के भुगतान पर ब्याज	(0.10)	-
प्रदत्त लाभांश	(8,500.00)	(6,700.00)
वितरित लाभांश का कर भुगतान	(1,747.20)	(1,377.20)
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**(10,247.30)**	**(8,077.20)**
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तनों के प्रभाव	(9.25)	(392.70)
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	**(2,163.42)**	**988.61**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	2,296.57	1,307.96
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	**133.15**	**2,296.57**

कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी संबंधी इण्ड एएस-7 में यथा निर्दिष्ट "परोक्ष विधि" के अंतर्गत उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरणी तैयार की गई है।

आवश्यकतानुसार, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

नकद एवं नकद समतुल्य के अंग		
बैंक में शेष	133.07	2,296.42
नकद	0.06	0.10
कर्मचारियों के पास अग्रदाय नकद	0.02	0.05
	133.15	**2,296.57**

संलग्न नोट सं. 1 से 62 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं |

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान पंजीयन
सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

पंजीकृत पता: अंतरिक्ष भवन,न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु-560094

31.03.2020 को समाप्त हुई अवधि के लिए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

राशि ₹ लाख में

क. एक्विटी शेयर पूँजी		31.03.2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	680.00	680.00
(ii)	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii)	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	680.00	680.00

ख. अन्य एक्विटी		रिज़र्व एवं अधिशेष						कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप निधि		अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री		कुल	
विवरण		सामान्य रिज़र्व		पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)							
		31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)
(i)	**रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष**	**106,614.10**	**106,614.10**	**60.00**	**60.00**	**39,249.63**	**20,770.33**	**1,240.48**	**1,251.40**	**(4.38)**	**(8.02)**	**147,159.83**	**128,687.81**
(ii)	लेखाविधि नीति या पूर्वावधि त्रुटि में परिवर्तन	-	-	-	-	(8,500.00)	(6,700.00)	-	-	-	-	(8,500.00)	(6,700.00)
(iii)	प्रतिधारित आय का स्थानांतरण (वर्तमान अवधि के लाभ का स्थानांतरण)	-	-	-	-	22,069.09	26,545.58	-	-	-	-	22,069.09	26,545.58
(iv)	कोई अन्य परिवर्तन:												
(क)	हस्तानांतरण	-	-	-	-	1,240.48	-	(1,240.48)	-	-	-	-	-
(ख)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप व्यय (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)	-	-	-	-	-	688.92	-	(688.92)	-	-	-	-

	(ग)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप के लिए बजटीय आबंटन का अंतरण (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)	-	-	-	-	-	(678.00)	-	678.00	-	-	-	-
	(घ)	वितरित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	-	-	-	-	(1,747.20)	(1,377.20)	-	-	-	-	(1,747.20)	(1,377.20)
	ङ.)	उपदान के बीमांकन मूल्यांकन पर इण्ड एएस मापन एवं उसपर कर का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.84)	3.64	(4.84)	3.64
													-	-
(v)	**रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष**		**106,614.10**	**106,614.10**	**60.00**	**60.00**	**52,312.00**	**39,249.63**	**-**	**1,240.48**	**(9.22)**	**(4.38)**	**158,976.88**	**147,159.83**

नोट:

1. सामान्य रिज़र्व: यह अर्जित आय से सृजित मुक्त रिज़र्व है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग के लिए है।
2. मूलधन विमोचन रिज़र्व: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, मूलधन विमोचन रिज़र्व का सृजन तब होता है जब कंपनी मुक्त रिज़र्व या प्रतिभूति अग्रधन से अपने शेयर स्वयं ख़रीदती है। नाममात्र मूल्य के ख़रीदे गए शेयर के बराबर की राशि मूलधन विमोचन रिज़र्व में हस्तांतरित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप इस रिज़र्व का उपयोग किया जाता है।

संलग्न नोट सं. 1 से 62 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार प्रतिष्ठान पंजीयन
सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

पंजीकृत पता: अंतरिक्ष भवन,न्यू बीईएल रोड, बेंगलूरु-560094

वित्तीय विवरणी के नोट

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आइ.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु-560094 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

2. तैयारी का आधार

(क) अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप तैयार किए गए हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन उचित मूल्यों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1, "वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति" में समाविष्ट है। स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं। ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं ।

(ख) प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है। सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण की गई हैं।

नए लेखाविधि मानक का उपयोग

कंपनी ने, इण्ड ए.एस.116, पट्टे को 01 अप्रैल 2019 से स्वीकार किया है और इसका विस्तृत विवरण नोट 44 में वर्णित है। कंपनी द्वारा किए गए पिछले कारोबार में इण्ड ए.एस.116 को लागू करने पर कोई अर्थापत्ति नहीं हुई है।

चालू/दीर्घकालीन वर्गीकरण

कोई भी परिसंपत्ति या देयता चालू मानी जाएगी अगर वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है:

i. कंपनी के सामान्य परिचालन काल में ही किसी परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;
ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिलक्षित हो;
iii. परिसंपत्ति/देयता को मूलत: व्यापार के लिए रखा जाए;
iv. विवरित अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जबतक इसकी अदला-बदली पर रोक न लगी हो या विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद देयता के भुगतान के लिए उपयोग में न लाई जा सके;

vi. जहाँ तक देयता का प्रश्न है, कंपनी को विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद भी देयता के भुगतान को टालने का कोई बिना शर्त अधिकार प्राप्त नहीं है।

अन्य सभी परिसंपत्ति या देयता दीर्घकालीन मानी जाती हैं।

परिसंपत्ति या देयता के चालू या दीर्घकालीन वर्गीकरण के लिए कंपनी ने अपना सामान्य परिचालन काल बारह महीना माना है। यह परिसंपत्ति या सूचियों के अधिग्रहण के प्रवर्धन और नकद या नकद समतुल्य के प्रापण के बीच सेवाओं की प्रकृति तथा समय पर आधारित है।

(ग) आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं।

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है। विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है:

(i) **राजस्व स्वीकृति**:

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है। लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है। इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के पर्याप्त तौर पर भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं। चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसे इन संविदाओं की अवधि के दौरान नियमित रूप से आकलित किया जाता है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है।

(ii) **आयकर**:

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है।

(iii) **आस्थगित कर**:

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के कर योग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं। कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित कर योग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीत अवधि के दौरान भविष्य के कर योग्य आय के आकलन को कम किया जाता है।

(iv) **पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**:

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं। इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है।

(v) **वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि**:

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है। कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है।

(घ) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है। यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुन: स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं।

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(ii) इण्ड ए.एस. में अंतरण

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे।

(iv) मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है | 0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0%

होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं। 1% के शेष मूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है। कंपनी द्वारा यथानिर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन इसप्रकार हैं:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयत्र एवं यंत्र-समूह	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन(अस्थाई निर्माण)	3 वर्ष
भवन(बाड़, इत्यादि)	5 वर्ष
फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	10 वर्ष
कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक सामग्री	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
सॉफ्टवेयर	5 वर्ष
विद्युतीय व्यवस्था	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

(ख) अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है। आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है। यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है।

(ग) वस्तुसूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं। माल की लागत का निर्धारण पहले डालो, पहले निकालो सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं। कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है।

(घ) राजस्व

(i) बिक्री

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित / ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है। हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपूर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और, यदि संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए।

(ii) सेवाएँ

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

ग्राहक के साथ हुए करार के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(स) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) **सम्मिश्र संविदा**

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) **अन्य आय**

(अ) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है। जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ब) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(डं.) विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) **प्रारंभिक स्वीकृति**

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं।

(ii) **परवर्ती मापन**

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तक विनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं। ग़ैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है। लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है।

(च) वित्तीय संलेख

(i) **स्वीकृति एवं आरंभिक मापन**

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होती हैं जब वे उद्भूत होती हैं। बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होती हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है। वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं। लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ तथा हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है।

(ii) **वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन**

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति:

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आइ (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है:

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है:

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित कर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

एक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आइ में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आइ. के रूप में निर्दिष्ट-एक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंपत्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित की जाती हैं। किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आइ. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आइ. में एक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित की जाती हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आइ. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं। किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकर किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) **अस्वीकृति**

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

(ब) वित्तीय देयता:

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं। समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(छ) क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है? वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं:

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन अपेक्षित जीवनकाल जमा राशि के बराबर की राशि पर किया जाता है।

(ii) ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है। क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू, परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है।

(ज) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

(i) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है। योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आइ. में स्वीकार किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में एन्ट्रिक्स के कार्मिक शामिल हैं।

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 10% का योगदान देती है। अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) **क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होती है। बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) **डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)**

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है।

(झ) आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं। इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे एक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) **चालू कर**

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है। आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है। इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो।

(iii) **आस्थगित कर**

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है। आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं:

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;

- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत/कम की जाती है जब ऐसा क्रमश: संभव/असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है।

(ञ) प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है । वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को बोनस शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख एक्विटी शेयर के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

(ट) प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा। इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

(ठ) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं।

(ड) पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन

पिछले वर्ष से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक अंतरण में ₹100 लाख या व्यवसाय के 0.1%, जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होते इन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय की तरह माना जाता है।

(ढ) सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है । लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है ।

(ण) पट्टा

सभी पट्टों को उपयोगाधिकार परिसंपत्ति एवं पट्टा देयता मानकर लेखाविधित किया जाता है, सिवाय इनके:

- कम मूल्य की परिसंपत्ति का पट्टा
- 12 महीने या कम की अवधि का पट्टा

पट्टा-शर्त से जुड़े पट्टेदार की संविदा भुगतान बकाया के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन किया जाता है, पट्टे में शामिल दर के संदर्भ में बट्टा दर निर्धारित की जाती है बशर्ते (किसी विशेष स्थिति में) इसे आसानी से निर्धारित नहीं की जा सके, ऐसे हालात में पट्टे के शुरु होने पर कंपनी की वृद्धि उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान को पट्टा देयता मापन में तभी शामिल किया जाता है जब वे सूची या दर पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में, पट्टा देयता का आरंभिक मापनपरिवर्त नीय तत्व ग्रहण करता है जो पट्टा की पूरी अवधि तक अपरिवर्तित रहता है। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान का व्यय उसी अवधि में किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

आरंभिक स्वीकृति में, पट्टा देयता के वाहित मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) किसी बाकी बचे मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय अपेक्षित राशि

(ii) कंपनी के पक्ष में दी गई किसी क्रय विकल्प के प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करने के लिए तार्किक रूप से निश्चित हो।

(iii) पट्टे को समाप्त करने के लिए कोई शास्ति, यदि पट्टे की शर्त का आकलन प्रयोग में लाए गए समापन विकल्प के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति का आरंभिक मापन पट्टा देयता की राशि पर होता है जिसे किसी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन हेतु कम किया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

(i) पट्टा के आरंभ होने पर या उससे पहले पट्टा का भुगतान किया जाता है;

(ii) आरंभिक सीधी लागत लगाई जाती है; और

(iii) किसी प्रावधान राशि को स्वीकार किया जाता है जहाँ कंपनी संविदा के आधार पर पट्टाधारित परिसंपत्ति को विध्वंस करने, हटाने या पुन:स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है|

आरंभिक मापन के परिणामस्वरूप, बकाया राशि पर नियत दर से लिए जाने वाले ब्याज के चलते पट्टा देयता बढ़ जाती है, और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टे की बाकी बची हुई अवधि के लिए या कदाचित् परिसंपत्ति के बाकी बचे आर्थिक जीवन के लिए, क्योंकि इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है, सरल रेखा आधार पर परिशोधित की जाती हैं।

जब कंपनी, अपने किसी पट्टे की अवधि के अनुमान को संशोधित करती है तो यह पट्टा देयता की वाहित राशि को संशोधित अवधि के लिए भुगतान हेतु हस्तांतरित करने के लिए समायोजित करती है जिसे संशोधित बट्टा दर का उपयोग कर छूट दी जाती है। पट्टा देयता के वाहित मूल्य को भी ठीक इसी तरह संशोधित किया जाता है जब दर या सूची पर आधारित भविष्य के पट्टे के भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय तब कि बट्टा दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों स्थिति में,बाकी बचे (संशोधित) पट्टा की अवधि के लिए संशोधित वाहित राशि परिशोधन के साथ उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित मूल्य हेतु समतुल्य समायोजन किया जाता है। यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित राशि को शून्य के रूप में समायोजित किया जाता है तो आगे की कोई कटौती लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती है।

(त) मानक जारी किए गए परन्तु प्रभावी नहीं हैं

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने वर्तमान मानकों के लिए नए मानक या संशोधन जारी किए हैं। मंत्रालय ने मानकों के लिए ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है जिसे 01 अप्रैल 2020 से लागू किया जा सके।

नोट 4 का परिशिष्ट-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				मूल्यह्रास (उपयोगी जीवन एसएलएम)				निवल वाहित मान (डब्ल्यू.डी.वी)	
		30.03.19 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	30.03.20 को	30.03.19 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	30.03.20 तक	30.03.20 को	30.03.19 को
1	भवन										
(i)	भवन- आर.सी.सी.निर्मित ढाँचा	837.12	-	-	837.12	57.88	14.46		72.34	764.78	779.24
(ii)	भवन- वातानुकूलन प्रणाली	85.36	-	-	85.36	27.68	6.91		34.59	50.77	57.68
(iii)	भवन- विद्युत संबंधी प्रणाली	266.12	-	-	266.12	145.18	36.43		181.61	84.51	120.94
(iv)	भवन-उत्थापक	33.28	-	-	33.28	10.79	2.69		13.48	19.79	22.48
(v)	भवन- जल आपूर्ति प्रणाली	57.79	-	-	57.79	18.73	4.68		23.41	34.38	39.05
(vi)	भवन-काष्ठ फर्श प्रणाली	28.35	-	-	28.35	14.35	3.64		17.99	10.36	14.00
(vii)	भवन (बाड़) - चहारदीवारी फाटक	1.12	-	-	1.12	1.10	0.01		1.11	0.01	0.02
(viii)	भवन अस्थाई निर्माण (काष्ठ कोष्ठक)	0.18	-	-	0.18	0.16	0.02		0.18	0.01	0.02
	उप योग	1,309.32	-	-	1,309.32	275.87	68.84	-	344.71	964.61	1,033.44
2	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	241.52	0.61	-	242.13	109.97	30.49		140.46	101.67	131.55
3	कम्प्यूटर एवं बाह्य सामग्री	109.86	1.30	-	111.16	46.74	18.22		64.96	46.20	63.11
4	कार्यालय उपकरण	69.85	15.77	-	85.62	44.90	12.28		57.18	28.44	24.95
5	संचारजाल उपकरण	1.11	-	-	1.11	1.10	0.00		1.10	0.01	0.02
	कुल	**1,731.66**	17.68	**-**	**1,749.34**	**478.58**	**129.83**	**-**	**608.41**	**1,140.93**	**1,253.07**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	1,682.72	48.94	-	1,731.66	347.86	130.71	-	478.58	1,253.08	1,334.86

नोट:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।
2) प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए या दिनांक 01.02.2009 से दी गई विस्तार के लिए वार्षिक किराया के आधार पर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर दी गई ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ है। पट्टे की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
3) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किए गए सुधार के अनुसार, जो 01 अप्रैल, 2015 से या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियों के लिए अनिवार्य है, वर्ष के दौरान भवन एवं ऐसे घटकों के लिए घटक लेखाविधि लागू की गई है, वह भवन के वृहत् शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है। निर्माण एवं अनुरक्षण संभाग, इसरो मुख्यालय दिए गए ब्योरों के आधार पर भवन का घटक मूल्य निर्धारित है।
4) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप, भवन, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास से संबंधित महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को पारिभाषित करने के लिए संशोधित किया गया है। हालाँकि, इससे वित्तीय आँकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट 4 क का परिशिष्ट-अन्य अमूर्त परिसंपत्ति (राशि ₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				लेखाविधि मानक-आइएनडी एएस-38 के तहत मूल्यह्रास (सीधी रेखा पद्धति)				निवल वाहित मान(ड्ब्ल्यूडीवी)	
		30.03.19 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.20 को	31.03.19 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.20 तक	31.03.20 को	31.03.19 को
1	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (अर्जित)	114.86	22.00	-	136.86	47.37	25.78	-	73.15	63.71	67.49
	कुल	**114.86**	**22.00**	**-**	**136.86**	**47.37**	**25.78**	**-**	**73.15**	**63.71**	**67.49**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	79.82	35.04	-	114.86	26.45	20.92	-	47.37	67.49	53.37

नोट:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

नोट 5 का परिशिष्ट-उपयोगाधिकार परिसंपत्ति (राशि ₹ लाख में)

कंपनी के पास विद्यमान उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के विवरण इसप्रकार हैं:

विवरण	30.03.20 को	30.03.19 को
अथ	-	-
वर्ष के दौरान मान्य	272.41	-
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	5.45	-
निवल वाहित मान	**266.96**	**-**

31.03.2020 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
4	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर**		
	(क) भवन	964.61	1,033.44
	(ख) फर्नीचर एवं फिक्सर	101.67	131.55
	(ग) कार्यालय उपकरण	28.44	63.11
	(घ) कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	46.20	24.95
	(ङ) नेटवर्किंग उपकरण	0.01	0.02
		1,140.93	**1,253.07**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें
4क	**अन्य अमूर्त परिसंपत्ति:**		
	(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	**63.71**	**67.49**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें	इस नोट के परिशिष्ट का संदर्भ लें
5	**उपयोगाधिकार परिसंपत्ति:**		
	पट्टा भूमि	**266.96**	**-**
6	**ऋण**		
	(क) कर्मचारी को अग्रिम	0.48	0.72
	(ख) कर्मचारी को अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.19	0.12
		0.67	**0.84**
	ऋण का वर्गीकरण		
	(क) खरी मानी गईं ऋण प्राप्तियाँ - सुरक्षित	-	-
	(ख) खरी मानी गईं ऋण प्राप्तियाँ - असुरक्षित	0.67	0.84
	(ग) ऋण प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
	(घ) ऋण प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-
7	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(क) जमा	5,018.26	5,024.05
	(ख) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के साथ बैंक जमा राशि	9,273.37	-

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	(ग) प्रतिभूति जमा के बदले में निर्गत गारंटी के विरुद्ध अंतराल राशि के रूप में रखी गई जमा राशि	13,879.69	12,926.59
		28,171.32	**17,950.64**
8	**अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति**		
	(क) पूँजी अग्रिम	3.00	3.00
	(ख) व्यापार लेनदारों को अग्रिम	7.84	35,284.61
	(ग) व्यय के लिए अग्रिम	4.80	4.90
	(घ) विरोध के तहत भुगतान किए गए कर	5,500.78	10,478.33
	(ङ) कर-बकाया वापसी	9,389.18	11,546.44
		14,905.60	**57,317.28**
9	**वस्तु-सूची**		
	जारी व्यापार सामग्री (लागत पर मूल्यांकित या आकलित प्राप्य मूल्य)	**39.76**	**81.54**
10	**निवेश-चालू:**		
	(म्यूचुअल निधि में निवेश - अनुल्लिखित - लाभ और हानि द्वारा उचित मूल्य पर वाहित)		
	बैंक ऑफ इंडिया एक्सए लिक्विड निधि-सीधी योजना-प्रतिदिन लाभांश-पुनर्निवेश वर्तमान और पिछले, दोनों वर्षों के अंत में ₹1002.6483 एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 14803.708) में निवेश किया।	-	148.43
	केनरा रोबेको लिक्विड - प्रत्यक्ष दैनिक लाभांश पिछले वर्ष के अंत में ₹1005.50 एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 14669.597) में निवेश किया।	-	147.50
	आई.डी.बी.आइ.लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश पिछले वर्ष के अंत में ₹1002.3548 एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 323382.731) में निवेश किया।	-	3,241.44
	एल.आइ.सी.एम.एफ.लिक्विड फंड प्रत्यक्ष लाभांश योजना पिछले वर्ष के अंत में ₹1098/- एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 15358.884) में निवेश किया।	-	168.64
	एल.डी.72 एस.डी.एस.बी.आइ.प्रीमियर लिक्विड फंड-प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश पिछले वर्ष के अंत में ₹1003.25 एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 13073.639) में निवेश किया।	-	131.16

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	यू.टी.आइ, लिक्विड नकद योजना - संस्थागत प्रत्यक्ष योजना-दैनिक लाभांश-पुनर्निवेश पिछले वर्ष के अंत में ₹1019.4457 एनएवी की दर से शून्य यूनिट (विगत वर्ष 15540.378) में निवेश किया ।	-	158.43
		-	**3,995.60**
11	**व्यापार प्राप्तियाँ:**		
	(i) खरी मानी गईं व्यापार प्राप्तियाँ - सुरक्षित	8,887.38	16,015.64
	(ii) खरी मानी गईं व्यापार प्राप्तियाँ - असुरक्षित	109,149.64	66,278.37
	(iii) व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	14,987.41	7,577.42
	(iv) व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	2,385.55	3,066.34
		135,409.98	**92,937.77**
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	14,987.41	7,577.42
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता	2,385.55	3,066.34
		118,037.02	**82,294.01**
12	**नकद एवं नकद समतुल्य:**		
	(i) बैंक में शेष	133.07	2,296.42
	(ii) नकद	0.06	0.10
	(iii) कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद	0.02	0.05
		133.15	**2,296.57**
13	**नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष**		
	(i) 12 महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि	51,860.00	58,650.00
	(ii) सी.एस.आर क्रियाकलाप के लिए बैंक में निर्दिष्ट निधि	353.30	1,286.93
		52,213.30	**59,936.93**
14	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(i) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	4,036.93	3,975.64
	(ii) बिना बिल का राजस्व	941.12	-
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ	27.68	2,571.77
		5,005.73	**6,547.41**
15	**अन्य चालू परिसंपत्ति**		
	(असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(i) व्यय के लिए अग्रिम	3,556.88	294.32
	(ii) व्यापार लेनदारों के लिए अग्रिम	-	30.42
	(iii) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	11,085.88	11,177.38

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	(iv) जीएसटी इनपुट कर परिसंपत्ति	7,917.82	9,493.19
		22,560.58	**20,995.31**
16	**एक्विटी शेयर पूँजी**:		
	(क) **अधिकृत**:		
	(i) शेयरों की सं.	10,000,000	10,000,000
	(ii) शेयरों की राशि(₹ लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख) **निर्गत, अभिदत्त एवं नकद के बदले में पूर्णरूपेण प्रदत्त**:		
	(i) शेयरों की सं.	680,000	680,000
	(ii) शेयरों की राशि(₹ लाख में)	680.00	680.00
	(ग) समान मूल्य के प्रति शेयर	100	100
	(घ) अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य		
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	680,000	680,000
	(ii) घटाइए: वर्ष के दौरान पुन: खरीदी गई शेयरों की संख्या	-	-
	(iii) जोड़िए: वर्ष के दौरान निर्गत बोनस शेयरों की संख्या	-	-
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	680,000	680,000
	(ङ.) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयर के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के आधार पर, समस्त अधिकार (धारित प्रति एक्विटी शेयर पर एक मत के अधिकार सहित) समस्त अधिमान एवं प्रतिबंध (एक्विटी शेयर के हस्तानांतरण प्रतिबंध सहित) निदेशकमंडल के पास निहित है । बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक पर आधारित होता है । निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा ।		
	(च) धारित शेयर की संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण ₹ 100 प्रत्येक के प्रदत्त एक्विटी शेयर के समस्त 6,80,100 शेयर के 100 % राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है ।.		
	(छ) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं हैं ।		
	(ज) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति एक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है ।		
	(झ) तुलनपत्र तैयार किए जाने के ठीक पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सूचना.	-----परिशिष्ट के अनुसार-----	

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
17	**न्यू एक्विटी**		
	एक्विटी में परिवर्तनों की संलग्न विवरणी के अनुसार	1,58,976.88	1,47,159.83
18	**अन्य वित्तीय देयता**		
	(i) दीर्घकालीन व्यापार देय (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा)	-	14.90
		-	**14.90**
	(i) उपदान	16.47	11.09
	(ii) अवकाश नकदीकरण	34.09	16.30
		50.56	**27.39**
20	**अन्य दीर्घकालीन देयता**		
	(i) ग्राहकों से अग्रिम	1.54	6,906.21
	(ii) पट्टे पर देयता	249.17	-
		250.71	**6,906.21**
21	**व्यापार देय**		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बाकी बची बकाया राशि	11.16	41.30
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि	68,617.24	64,877.12
		68,628.40	**64,918.42**
	अतिरिक्त सूचना		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास बाकी बची बकाया राशि निम्नवत् है		
	विवरण		
	1 बाकी और अप्रदत्त बचे मूलधन	11.16	41.30
	2 उपर्युक्त (1) के बाकी ब्याज और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतान पर प्रदत्त ब्याज	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) को छोड़कर विलम्ब-अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज	-	-
	6 प्रोद्भूत एवं अप्रदत्त बाकी बचे ब्याज	-	-
	7 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत व्यय छूट की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाकी एवं देय ब्याज	-	-
22	**अन्य वित्तीय देयता**		
	(i) व्यय के लिए लेनदार	91.38	431.72
	(ii) अन्य देयता के लिए लेनदार	96.06	459.72

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
	(iii) अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	5,841.76	11,953.72
		6,029.20	**12,845.16**
23	**अन्य चालू देयता**		
	(i) सांविधिक देयता	2,221.76	8,846.25
	(ii) ग्राहकों से अग्रिम	3,452.74	2,427.34
	(iii) अग्रिम के तौर पर प्राप्त राजस्व	4,834.46	9,132.37
	(iv) पट्टे पर देयता	22.79	-
		10,531.75	**20,405.96**
24	**प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान के लिए	0.60	0.85
	(ii) अवकाश नकदीकरण के लिए	7.42	4.81
	सी.एस.आर प्रतिबद्धता हेतु प्रावधान	553.98	-
		562.00	**5.66**

31.03.2020 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
25	**प्रचालनों से राजस्व:**		
	(क) उत्पादों की बिक्री:		
	(i) निर्यात	95.77	42.78
	(ii) घरेलू	44,836.20	2,659.22
	कुल (क)	**44,931.97**	**2,702.00**
	(ख) सेवाओं की बिक्री:		
	(i) **निर्यात**		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	45.79	375.81
	प्रमोचन सेवा	116.15	32,418.52
	परिवर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	(221.47)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	365.61	166.28
	परामर्शिता सेवाएँ	-	4.36
	(ii) **घरेलू**		
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - इन्सैट	1,19,093.92	1,08,605.41
	घटाइए: अंतरिक्ष विभाग राजस्व शेयर	1,01,229.83	92,315.39
		17,864.09	16,290.02
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	69,109.68	73,277.27
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति	744.82	517.95
	प्रमोचन सेवा प्राप्ति	1,783.07	37,010.28
	मिशन सहायता सेवाएँ	899.54	-
	परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	8,711.17	1,204.38
	कुल (ख)	**99,418.45**	**1,61,264.87**
	कुल (क)+(ख)	**1,44,350.42**	**1,63,966.87**
26	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से प्राप्त आय		
	(i) बैंक में जमा राशि पर	5,365.24	5,457.36
	(ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर	0.07	0.10
	(iii) व्यापार प्राप्तियों पर	58.56	36.28
	(iv) पूर्व प्रदत्त करों पर	125.82	-
	(ख) निर्यात प्रोत्साहन	157.97	123.94
	(ग) वैकल्पिक प्रमोचन सेवा	12.98	45.60
	(घ) विदेशी मुद्रा अंतरण एवं परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	9.25	392.70
	(ङ) लाभांश से आय	154.87	828.18
	(च) सरकारी अनुदान से आय	22.69	22.69
	(छ) विक्रेताओं से परिनिर्धारित क्षति प्राप्ति	3.37	7.27
	(ज) विविध आय	1.21	0.32
		5,912.03	**6,914.44**

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
27	**प्रचालनों से राजस्व की लागत**		
	(क) बिक्री की लागत		
	(i) निर्यात	55.00	30.15
	(ii) घरेलू	37,891.01	2,345.02
	कुल (क)	**37,946.01**	**2,375.17**
	(ख) व्यय की लागत		
	(i) **निर्यात**		
	परामर्शिता सेवाएँ	-	2.57
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	27.47	225.48
	प्रमोचन सेवा	92.92	28,254.30
	प्रत्यावर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	(176.92)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	235.99	123.86
	(ii) **घरेलू**		
	परामर्शिता सेवाएँ	19.12	993.72
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	64,013.93	68,922.09
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क	694.46	477.87
	मिशन सहायता सेवाएँ	788.46	-
	प्रमोचन सेवाएँ	1,689.00	21,881.00
	कुल (क)	**67,384.43**	**1,20,880.89**
	कुल (क) + (ख)	**1,05,330.44**	**1,23,256.06**
28	**माल की खरीदारी**:		
	(i) व्यापार क्रय - आयात	-	12.24
	(ii) व्यापार क्रय - अंतर्देशीय	21.25	112.63
		21.25	**124.87**
29	**माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन**		
	(i) प्रारंभिक स्टॉक	81.54	186.14
	(ii) घटाइए: अंतिम स्टॉक	39.76	81.54
		41.78	**104.60**
30	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	44.92	40.64
	निदेशक (वित्त) को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	26.69	7.94
	वेतन	189.19	136.41
	अंतरिक्ष विभाग/इसरो कर्मचारी के लिए पुनर्भुगतान	136.29	322.65
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ	29.16	29.56
	अवकाश यात्रा रियायत	8.09	8.83
	अवकाश नकदीकरण का भुगतान	2.30	0.26
	अवकाश नकदीकरण	41.50	10.97
	उपदान प्रावधान	10.60	10.34
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	1.47	1.49
		490.21	**569.09**
30क	**वित्त लागत**:		
	पट्टे की देयता पर ब्याज	22.34	-
		22.34	**-**

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
31	**अन्य व्यय:**		
	यात्रा व्यय	66.39	93.60
	सवारी और टैक्सी भाड़ा	34.39	38.37
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	6.10	15.96
	संचार संबंधी व्यय	28.85	33.15
	कानूनी शुल्क एवं व्यय	394.19	526.87
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	62.76	216.59
	सी.एम.डी. आवास हेतु भाड़ा	5.60	5.59
	निदेशक (वित्त) आवास हेतु भाड़ा	4.25	1.43
	महसूल एवं कर	5.03	499.81
	विज्ञापन एवं प्रचार	31.95	46.34
	सदस्यता एवं अभिदान	8.74	17.18
	जनशक्ति व्यय	121.04	123.47
	संगोष्ठी, सम्मेलन एवं बैठक संबंधी व्यय	3.81	68.44
	प्रदर्शिनी एवं व्यापार मेला	2.50	-
	बीमा शुल्क	-	11.27
	प्रदर्शिनी एवं व्यापार मेला	-	22.69
	भूमि पट्टे का किराया के लिए सरकारी अनुदान	-	0.10
	भूमि पट्टे का किराया	1.30	-
	पिछले वर्षों से संबंधित सेवा कर	4,977.55	-
	एसवीएलडीआरएस के तहत-सेवा कर प्रदत्त-ओडीआइएआर	131.14	-
	जी.एस.टी व्यय-इनपुट अनुपयुक्त	67.17	-
	बैंक प्रभार	7.94	21.39
	बैंक गारंटी एवं एलसी प्रभार	115.81	128.71
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-भवन	-	0.30
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	66.77	83.37
	निदेशकों हेतु बैठक शुल्क	6.20	-
	लेखापरीक्षकों को भुगतान		
	सांविधिक लेखापरीक्षण हेतु	7.90	5.40
	आयकर लेखापरीक्षण हेतु	2.00	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाक्लापों पर व्यय (अनुलग्नक के अनुरूप विवरण)	1,535.82	688.92
	राहत कोष में योगदान	50.00	-
	विविध व्यय	16.49	34.66
	निवेशों से अप्राप्य हानि	-	166.04
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	6,729.20	1,905.98
		14,490.89	**4,755.63**
32	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाले आस्थगित कर (बचत)	(2,943.93)	(1,183.32)
		(2,943.93)	**(1,183.32)**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के नोट

33 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

राशि ₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
टैक्स कटौती में समयांतर	4,372.43	2,683.19
	4,372.43	2,683.19
(ख) आस्थगित कर देयता		
टैक्स कटौती में समयांतर	1,201.66	2,456.35
	1,201.66	2,456.35
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**3,170.77**	**226.84**

राशि ₹ लाख में

क) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि		
विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**
वर्तमान कर व्यय:	10,579.31	16,557.17
आस्थगित कर व्यय (आय)	(2,943.93)	(1,183.32)
निवल कर व्यय	**7,635.38**	**15,373.85**

ख) ओसीआइ में मान्य राशि		
विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**	**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**
क) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
रोज़गार के बाद पारिभाषित लाभ योजनाओं पर (हानि)/लाभ का पुनर्मापन	(6.47)	5.60
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	1.63	(1.96)
व्यय (आयकर का निवल)		
निवेश पर डीटीएल	-	
ख) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**(4.84)**	**3.64**

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य				
विवरण	**31 मार्च, 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**		**31 मार्च, 2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े**	
	राशि	**दर**	**राशि**	**दर**
जारी परिचालन से करपूर्व लाभ/(हानि)	29,704.46	25.168%	41,919.43	34.944%
अपेक्षित आयकर व्यय		7,476.02		14,648.33
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन पर कर प्रभाव				-
करमुक्त आय	(154.87)	(38.98)	(828.18)	(289.40)
विशिष्ट कर दर का प्रभाव		-		88.92
पिछले वर्षों के कर व्यय		(193.82)		1,214.23
पिछले वर्षों के आस्थगित कर मे संशोधन	17.34	4.36		(642.03)
स्थाई अंतर	1,540.82	387.80	1,012.46	353.80
समायोजन (निवल) का प्रभाव	1,403.29	159.36	184.28	725.52
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय		**7,635.38**		**15,373.85**
प्रभावी कर दर		**25.70%**		**36.67%**

घ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2018 को**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2019 को**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	3,024.14	(345.32)	-	2,678.82
सांविधिक कटौती	36.45	(32.09)	-	4.36
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**3,060.59**	**(377.41)**	**-**	**2,683.18**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	3,952.78	(1,545.24)	-	2,407.53
अन्य	2.20	(2.20)	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	62.10	(13.29)	-	48.82
	4,017.08	**(1,560.73)**	**-**	**2,456.35**
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) / देयता	**956.49**	**(1,183.32)**	**-**	**(226.83)**

ङ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2019 को**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2020 को**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	2,678.82	1,693.61	-	4,372.43
सांविधिक कटौती	4.36	(4.36)	-	-

निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**2,683.18**	**1,689.25**	**-**	**4,372.43**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	2,407.53	(1,252.75)	-	1,154.78
अन्य	-	-	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	48.82	(1.94)	-	46.88
	2,456.35	**(1,254.69)**		**1,201.66**
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति) / देयता	**(226.83)**	**(2,943.94)**	**-**	**(3,170.77)**

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएँ

आयकर अधिकरण के साथ कंपनी के कुछ मदों के कर व्यवहार से संबंधी निरर्थक विवाद जारी रहे हैं| यह विवाद कुछ व्यय, जिसे अनावर्ती माना जाता है, के कर व्यवहार से संबंधित है।

34 प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)

मौलिक ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

मिश्रित ई.पी.एस. राशि की गणना, सभी मिले-जुले प्रमुख शेयर के प्रभाव के समायोजन के बाद, कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

i. **मूल संस्थान की एक्विटी धारकों से संबंधित लाभ**

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
कर पश्चात् लाभ	22,069.09	26,545.58
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के एक्विटी धारकों से संबंधित लाभ	**22,069.09**	**26,545.58**
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**22,069.09**	**26,545.58**

ii. प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
प्रारंभिक तिथि तक निर्गत सामान्य शेयर	6,80,000	6,80,000
परिचालन	-	-
मौलिक ई.पी.एस. के लिए 31 मार्च तक प्रश्रय दी गई इक्विटी शेयर की औसत संख्या	**6,80,000**	**6,80,000**
सम्मिश्रण का प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	6,80,000	**6,80,000**
मौलिक और समायोजित प्रति शेयर आय (₹)	**3,245.45**	**3,903.76**
मिली-जुली प्रति शेयर आय (₹)	**3,245.45**	**3,903.76**

राशि ₹ लाख में

वित्तीय विवरणी के लिए नोट

35 वित्तीय संलेख-उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

i. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

31 मार्च 2020

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआइ	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.67	0.67	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,018.26	5,018.26	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			23,153.07	23,153.07	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	1,18,037.02	1,18,037.02	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	133.15	133.15	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	52,213.30	52,213.30				
अन्य वसूली योग्य	-	-	27.68	27.68	-	-	-	-
बिना बिल के राजस्व			941.12	941.12				
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	4,036.93	4,036.93	-	-	-	-
	-	**-**	**2,03,561.20**	**2,03,561.20**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य व्यापार देय	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता	-	-	-	-				
व्यापार देय	-	-	68,628.40	68,628.40	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	91.38	91.38	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	96.06	96.06	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	5,841.76	5,841.76	-	-	-	-
	-	**-**	**74,657.60**	**74,657.60**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2020

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआइ	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति								
चालू निवेश								
म्यूचुअल निधि में निवेश	3,995.60	-	-	3,995.60	-	3,995.60	-	3,995.60
	3,995.60	**-**	**-**	**3,995.60**	**-**	**3,995.60**	**-**	**3,995.60**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.84	0.84	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,024.04	5,024.04				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			12,926.59	12,926.59				
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	82,294.01	82,294.01	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,296.57	2,296.57	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	59,936.93	59,936.93				
अन्य वसूली योग्य	-	-	2,571.77	2,571.77	-	-	-	-
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,975.64	3,975.64	-	-	-	-
	-	**-**	**1,69,026.39**	**1,69,026.39**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
दीर्घकालीन वित्तीय देयता								
अन्य व्यापार देय	-	-	14.90	14.90	-	-	-	-
चालू वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	64,918.42	64,918.42	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	431.72	431.72	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	459.72	459.72	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	11,953.72	11,953.72	-	-	-	-
	-	**-**	**77,778.48**	**77,778.48**	**-**	**-**	**-**	**-**

उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत दाम (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 के तहत शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इन्पुट परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के तौर पर) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उद्भूत) प्रेक्षणीय है ।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इन्पुट जो बाज़ार के प्रेक्षणीय आँकड़ा (अप्रेक्षणीय इन्पुट) पर आधारित नहीं है ।

अवधि के दौरान, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है ।.

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम ;
- तरलता जोखिम ;और
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

राशि ₹ लाख में

36. वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यत: कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित करता सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है।

केंद्र/राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना में, निम्नलिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च 2020

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण हानि है
90 दिनों के बाद तक बकाया	0.13%	जी नहीं
91-180 दिनों के बाद बकाया	31.86%	जी नहीं
181-365 दिनों के बाद बकाया	18.42%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	20.12%	जी नहीं
ऋण क्षति	100.00%	जी हाँ

31 मार्च 2019

	प्रभावशाली औसत हानि दर	क्या ऋण हानि है
90 दिनों के बाद तक बकाया	0.20%	जी नहीं
91-180 दिनों के बाद बकाया	0.98%	जी नहीं
91-180 दिनों के बाद बकाया	5.23%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	16.65%	जी नहीं
ऋण क्षति	100.00%	जी हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

राशि ₹ लाख में

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
1 अप्रैल तक शेष	10,643.76	8,737.78
पहचान की गई क्षति हानि	6,729.20	1,905.98
पुनर्लिखित राशि	-	-
31 मार्च तक शेष	**17,372.96**	**10,643.76**

ऋण जोखिम का भौगोलिक अभिकेंद्रन

व्यापार प्राप्तियों का भौगोलिक अभिकेंद्रन (सकल एवं निवल भत्ता), बिना बिल की प्राप्तियाँ एवं संविदा परिसंपत्ति अधोलिखित हैं::

देश	31 मार्च 2020 को		31 मार्च 2019 को	
	सकल %	निवल %	सकल %	निवल %
भारत	89.46	88.12	84.27	82.46
यूनाइटेड किंगडम	8.22	9.43	11.98	13.52
नीदरलैण्ड	1.67	1.91	2.49	2.81
अन्य देश	0.65	0.54	1.26	1.21

व्यापार प्राप्तियों का देश-व्यापी अनावरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।.

नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2020 तक 133.15 (31 मार्च 2019 तक 2296.57) का नकद और नकद समतुल्य था। नकद और नकद समतुल्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान के पास रखा हुआ है जिनकी क्रिसिल दर ए 1+ दर्ज़ है।

37 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2020	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	-	-	-	-	-
चालू					
व्यापार देय	68,628.40	68,628.40	-	-	-

राशि ₹ लाख में

अन्य चालू वित्तीय देयता					
व्यय के लिए लेनदार	91.38	91.38	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	96.06	96.06	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	5,841.76	5,841.76	-	-	-
	74,657.60	**74,657.60**	**-**	**-**	**-**

		संविदा नकद प्रवाह			
31 मार्च 2019	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय	14.90		14.90		
चालू					
व्यापार देय	64,918.42	64,918.42	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
व्यय के लिए लेनदार	431.72	431.72	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	459.72	459.72	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	11,953.72	11,953.72	-	-	-
	77,778.48	**77,763.58**	**14.90**	**-**	**-**

38 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है - जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर - कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है। कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है।

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं

31 मार्च 2020 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि ₹ में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो(ईयूआर)	34.51	-	0.39	34.12	2,908.03	-	32.90	2,875.13
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	2.86	-	320.78	(317.92)	217.07	-	24,346.84	(24,129.77)

राशि ₹ लाख में

31 मार्च 2019 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि ₹ में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो(ईयूआर)	37.90	-	0.04	37.86	2,906.91	-	2.90	2,904.01
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	51.62	0.61	108.84	(57.83)	3,550.61	41.72	7,486.32	(3,977.43)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

	लाभ या हानि		एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2020				
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(241.30)	241.30	(180.57)	180.57
यूरो (ईयूआर) (1% परिचालन)	28.75	(28.75)	21.52	(21.52)
31 मार्च 2019				
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(39.77)	39.77	(25.88)	25.88
यूरो(ईयूआर)(1% परिचालन)	29.04	(29.04)	18.89	(18.89)

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं|

	वर्ष के अंत में दर	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
अमेरिकी डॉलर	75.90	68.78
यूरो	84.26	76.69

39. क. खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

39 ख. संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह कंपनी सरकारी प्रतिष्ठान है, अत: अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसे प्रकटीकरण से छूट मिला हुआ है।

कंपनी, इण्ड ए.एस. 24 के अनुच्छेद 26 के अनुरूप प्रकटीकरण करेगी। संबंधित प्रकटीकरण इसप्रकार हैं:

राशि ₹ लाख में

नियंत्रण प्रतिष्ठान **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

प्रमुख प्रबंधन दल

संबंधित पक्ष का नाम	संबंध (31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)	संबंध (31.03.2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)
श्री राकेश शशिभूषण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त) (02.11.2018 से)

संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
वेतन	71.61	48.58
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ	19.99	14.32
कार्य-समापन लाभ	-	-
	91.60	**62.90**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से अर्जित राजस्व	253.54	167.53
वर्ष के दौरान सेवा पर किए गए व्यय	37,865.51	52,783.02
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व	17,864.09	16,290.02
व्यय की प्रतिपूर्ति	140.94	329.61
	56,124.08	**69,570.18**

संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	35,654.99	13,436.61

40. पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, समायोजित निवल ऋण 'एवं' समायोजित एक्विटी के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर एक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। 31 मार्च तक कंपनी के समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे:

राशि ₹ लाख में

	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
कुल देयता	86,052.62	105,123.71
घटाइए : नकद एवं नकद समतुल्य	133.15	2,296.57
समायोजित निवल ऋण	**85,919.47**	**1,02,827.14**
कूल एक्विटी	1,59,656.88	1,47,839.83
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित एक्विटी	**1,59,656.88**	**1,47,839.83**
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित एक्विटी का अनुपात	**0.54**	**0.70**

41 कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता
(नोट 3 में लेखा नीति देखें)

i. उपदान

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
निवल पारिभाषित लाभ परिसंपत्ति	-	-
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति	-	-
निवल पारिभाषित लाभ देयता	(17.07)	(11.94)
कुल कर्मचारी लाभ देयता	(17.07)	(11.94)
दीर्घकालीन	16.47	11.09
चालू	0.60	0.85

निवल पारिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य
पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	45.99	41.26
लाभांश प्रदत्त		
चालू सेवा लागत	9.70	7.17
ब्याज लागत	3.46	3.17
विगत सेवा लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन	1.31	-
- वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	5.36	(2.29)
- अनुभव समायोजन	0.13	(3.32)
वर्ष के अंत में शेष	**65.95**	**45.99**

नियोजित परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के आरंभ में शेष	34.05	-
नियोजन में प्रदत्त योगदान	11.94	34.05
लाभ प्रदत्त	-	-

राशि ₹ लाख में

ब्याज से आय	2.56	-
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	0.33	-
वर्ष के अंत में शेष	**48.88**	**34.05**
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	**17.07**	**11.94**

पारिभाषित लाभ दायित्व

1. वेतन वृद्धि दर

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं (भारित औसत के तौर पर अभिव्यक्त) |.

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
छूट दर	6.85%	7.50%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2. लोकतांत्रिक मान्यताएँ

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
मृत्यु दर (आइ.इ.एल.एम. 2012-14 का %, पिछले वर्ष आइ.इ.एल.एम का % 06-08)	100%	100%
आहरण दर, वय आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	5%
31-40 वर्ष	2%	3%
40 वर्ष से ऊपर	1%	2%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर अभिव्यक्ति

3. सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा |

	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1% परिचालन)	76.58	57.19	52.85	40.27
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	16.10%	-13.30%	14.90%	-12.40%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1% परिचालन)	55.28	78.69	38.82	54.46
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-16.20%	19.30%	-15.60%	18.40%
क्षयण दर (50% परिचालन)	66.67	65.26	46.40	45.58
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	1.10%	-1.00%	0.90%	-0.90%
मृत्यु दर (10% परिचालन)	65.38	66.51	45.60	46.38
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.90%	0.80%	-0.90%	0.80%

एलआइसीजीएफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कार्मिकों को उपदान दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़र्चे में लिखा जाता है।

राशि ₹ लाख में

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

ii. अवकाश मूल्यांकन

1. परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
दायित्व का वर्तमान मूल्य	120.92	75.04
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	79.41	53.93
अधिशेष/ (घाटा)	(41.51)	(21.11)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(41.51)**	**(21.11)**

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
चालू देयता (अल्पावधि)	7.42	4.81
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	34.09	16.30
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**41.51**	**21.11**

भारत की एलआइसी के साथ अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ समूह अवकाश नकदीकरण योजना द्वारा दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक मॉग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़र्चे में लिखा जाता है।

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

42 इण्ड एएस 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रावधानों में परिचालन				
	01/04/2018 तक	**योग**	**उपयोग की गई राशि**	**31/03/2019 तक**
उपदान				
चालू	0.74	0.11	-	0.85
दीर्घकालीन	40.51	4.63	34.05	11.09
अवकाश नकदीकरण				
चालू	0.99	3.82	-	4.81
दीर्घकालीन	63.08	7.15	53.93	16.30
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	-	-	-	-
कुल	**105.32**	**15.71**	**87.98**	**33.05**
प्रावधानों में परिचालन				
	01/04/2019 तक	**योग**	**उपयोग की गई राशि**	**31/03/2020 तक**
उपदान				
चालू	0.85	0.60	0.85	0.60
दीर्घकालीन	11.09	16.47	11.09	16.47
अवकाश नकदीकरण				

राशि ₹ लाख में

चालू	4.81	7.42	4.81	7.42
दीर्घकालीन	16.30	34.09	16.30	34.09
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	-	553.98	-	553.98
कुल	**33.05**	**612.56**	**33.05**	**612.56**

43. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एएस-38 -अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रकटीकरण:

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(डं.)	सकल वाहित राशि	₹136.8 लाख (पिछले वर्ष ₹114.86 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹73.15 लाख (पिछले वर्ष ₹47.37 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि के आरंभ एवं अंत में संचित क्षति हानि	शून्य
अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य		
(i)	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग	अलग से प्राप्त- ₹22.00 लाख (पिछले वर्ष ₹35.04 लाख) आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है।
(ii)	इण्ड एएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹25.78 लाख (पिछले वर्ष ₹20.92 लाख)
(vi)	वित्तीय विवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

राशि ₹ लाख में

44क 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए चालू वर्ष के लिए इण्ड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण

1. इण्ड एएस 116 का क्रियान्वयन-पट्टेदार के तौर पर पट्टा

पहले के मानक, इण्ड एएस 17-पट्टा के अंतर्गत, वह पट्टा जिसमें स्वामित्व के दायित्व और लाभ पट्टेदार द्वारा संजोए गए थे, को संचालनीय पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इण्ड एएस 116 के अंतर्गत, कंपनी परिसंपत्ति के उपयोगाधिकार एवं पट्टे के लिए पट्टा देयता को स्वीकार करती है यानी ये पट्टे तुलनपत्र में होते हैं।

अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इण्ड एएस 116 - पट्टा को स्वीकार किया है और संशोधित पूर्वप्रभावी पद्धति का उपयोग कर इसे 01 अप्रैल 2019 तक विद्यमान अपने सभी पट्टा-संविदा में लागू किया है। कंपनी के पास केवल एक ही पट्टा है यानी अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से भूमि का पट्टा| इसी के आधार पर और यथा अनुमन्य मानक के विशिष्ट परिवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी ने तुलनात्मक आँकड़े की पुनरुक्ति नहीं की है।

अप्रैल 2019 तक की पट्टा देयता और सदृश उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर के बट्टे के साथ बाकी बचे पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी जाती है। 01 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयता पर लागू पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर का वाहित औसत 8.20% प्रति वर्ष था। यह परिवर्तन, इण्ड एएस 116 के परिवर्ती प्रावधानों के अनुरूप है।

परिवर्तन के कारण, नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और ₹272.41 लाख की पट्टा देयता स्वीकार की गई है।

i) लागू उचित व्यवहार

कंपनी ने संविदा के होने या आरंभिक आवेदन की तिथि इसमें पट्टा होने पर भी पूर्व चिह्नित पट्टा इण्ड एएस 17 के पुनर्मूल्यांकन का चयन नहीं किया है। हालाँकि, पहली बार इण्ड एएस 116 लागू करते समय कंपनी ने मानक द्वारा अनुमन्य निम्नलिखित व्यावहारिक औचित्य का भी उपयोग किया है:

- अपेक्षाकृत समान गुण वाले पट्टे के पत्राधान हेतु एकल बट्टा दर लागू किया जाना

- अपने पूर्व मूल्यांकन पर निर्भर करना कि क्षति हानि समीक्षा के निष्पादन के विकल्प के तौर पर आरंभिक आवेदन की तिथि से पूर्व इण्ड एएस 37 के प्रावधानों, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्ति के अंतर्गत पट्टे दु:सह हैं कि नहीं।

- 01 अप्रैल 2019 तक कोई दु:सह संविदाएँ नहीं थीं।

- आरंभिक आवेदन की तिथि तक उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के मापन के लिए आरंभिक सीधी लागत को छोड़कर

- पट्टे की अवधि के निर्धारण के लिए पश्चदृष्टि का उपयोग करना जहाँ संविदा में पट्टे को विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल है।

ii) पट्टा देयता का मापन

31 मार्च 2019 तक प्रचालनीय पट्टा प्रतिबद्धता (सरकारी अनुदान राशि सहित)	1,135.51
01 अप्रैल 2019 तक वृद्धि गृहीत दर का उपयोग करके छूट दी गई	8.20%
31 मार्च 2019 तक वित्त पट्टा देयता	272.41
पट्टा अवधि के अनुमान में परिवर्तन	–
01 अप्रैल 2019 तक मान्य पट्टा देयता	272.41

कंपनी परिसर हेतु पट्टा व्यवस्था में शामिल हुई है। तुलन पत्र में 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर' की पंक्ति के बाद उपयोगाधिकार को शामिल किया गया है एवं 'अन्य देयता' के अंतर्गत पट्टा देयता को शामिल किया गया है।

(i) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च 2020
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	272.41
ख) पट्टा देयता	
चालू	22.79
दीर्घकालीन	249.17
कुल पट्टा देयता	271.96
ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में योग	-

(ii) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च 2020
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास शुल्क	5.45
ख) ब्याज व्यय	22.34
ग) अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय	-

(iii) नकद प्रभाव

विवरण	31 मार्च 2020
पट्टे के कारण कुल नकद बहिर्गमन	0.10

iv) भविष्य की प्रतिबद्धता

विवरण	31 मार्च 2020
भविष्य के बिना बट्टे वाले पट्टे के भुगतान जिसके लिए पट्टा करार अभी तक आरंभ नहीं हुआ है	-

(v) अप्रकट पट्टा देयता का परिपक्व विश्लेषण (₹ 22.69 लाख की सरकारी अनुदान राशि सहित)

अवधि	31 मार्च 2020
एक वर्ष के बाद नहीं	22.79
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्षों के बाद नहीं	91.14
पाँच वर्षों के बाद	998.80
कुल	**1,112.73**

2. 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्ड एएस 17 के अंतर्गत पट्टा का प्रकटीकरण

कंपनी के पास 60 वर्षों के लिए कार्यालय परिसर हेतु भूमि का प्रचालनीय पट्टा है जिसे प्रारंभिक शर्त के समाप्त होने के 60 दिन पहले सूचित कर दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए किराए पर अगले 10 वर्षों तक आवधिक आधार पर पुन: नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके लिए कोई उप पट्टा नहीं है।

प्रचालनीय पट्टा

31 मार्च तक, अविलोप्य प्रचालनीय पट्टे के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम किए जाने वाले पट्टा भुगतान (₹ 22.69 लाख की सरकारी अनुदान के अलावा) अधोलिखित हैं .

विवरण	31 मार्च 2019
एक वर्ष से कम में देय	0.10
एक और पाँच वर्ष के बीच देय	0.40
पाँच वर्ष से अधिक के बाद देय	4.60
	5.10

ii. लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु
पट्टा व्यय	22.79

44ख. इण्ड एएस 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान का प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 60 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि ली है जो ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर कंपनी का अकेला हिस्सेदार भी है।

मूल्यांकन के आधार पर, पट्टा किराए का अनुमानित उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रतिवर्ष है। इण्ड एएस 20 के "सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण" के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।.

वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट

राशि ₹ लाख में

		31.03.2020 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े	31.03.2019 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े
45	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:**		
	(जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)		
	i) आकस्मिक देयता		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:-		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के तहत ₹ 912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹ 5,000 लाख की राशि जमा की गई।	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) इन माँगों के प्रति माँग की तिथि तक सेवा कर, विरोध के तहत ₹ 5,756.27 लाख (पिछले वर्ष 10,555.23 लाख) का भुगतान किया गया ।	7,053.58	11,852.53
	(iii) भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दावे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा अधिनिर्णीत राशि। कंपनी ने अधिनिर्णय को चुनौती दी है जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है।	5,35,876.53	4,82,692.52
	कुल	**6,87,370.55**	**6,38,985.49**
	(ख) गारंटी:		
	(i) बैंक गारंटी-प्रमोचन सेवाओं के लिए निष्पादन गारंटी	13,776.51	12,632.76
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:-		
	(i) सेवा कर के प्रति कारण बताओ नोटिस, इसके प्रति विरोध के तहत ₹ 6,288.02 लाख की राशि (विगत वर्ष ₹ 6,521.33 लाख) का भुगतान किया गया।	6,288.02	6,948.24
	ii) प्रतिबद्धताएँ		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजी पर निष्पादित किया जाना है	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
	कंपनी का मत है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयता के लिए संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी ।.		

46	सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में उल्लिखित राशि जो कम-से-कम राशि के बराबर हो के प्रापण से संबंधित परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा के बारे में बोर्ड की राय।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा । जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	बोर्ड की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा । जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।

47. विवादों के विवरण:

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला / विवाद लंबित है	31.03.2020 तक विवाद में शामिल शामिल राशि (लाख में)
क.	01.04.2005 से 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56

विवाद की स्थिति:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03 मई, 2010 के अपने आदेश के द्वारा" मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।".

ख.	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन: आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया) । आदेश निम्नवत् : i. आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी ii. आदेश सं. 259709721/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी iii. आदेश सं. 251709773/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी iv. आदेश सं. 275709811/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी v. आदेश सं. 232709848/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय/भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88

विवाद की स्थिति:

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।

दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया । कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हस्तांतरण याचिका दायर की गई थी । शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को यह निर्देश देते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई तभी होगी जब इसके समक्ष लंबित सिविल अपीलीय कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सिविल अपील के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेगा ।

ग.	जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	7,053.58

विवाद की स्थिति:

सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹5756.27 लाख का सेवाकर विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।

घ.	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार को रद्द किए जाने के फलस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी.), पेरिस के समक्ष करार समापन के चलते क्षति का मामला उठाया।	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	₹5,35,876.53 (विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर ₹43.78 प्रति अमेरिकी डॉलर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अलावा 562.50 मिलियन अमरीकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है।)

विवाद की स्थिति:

कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास')ने दिनांक 28.01.2005 को "मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एन्ट्रिक्स एस बैण्ड" की अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए करार" किया था जिसे उक्त करार में उपलब्ध तार्किक आधार का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.02.2011 को एन्ट्रिक्स द्वारा जारी निरस्तीकरण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस निरस्तीकरण को देवास ने चुनौती दी जिसकारण विभिन्न न्यायिक एवं अर्धशासी-न्यायिक कार्यवाही का उद्भव हुआ।

करार समाप्ति के परिणामस्वरूप, देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी) के तत्वावधान में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत की। कंपनी के आपत्ति के बावजूद कंपनी की भागीदारी के बिना आइ.सी.सी मध्यस्था न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। आइ.सी.सी न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय सुनाया जिसमें देवास को (i) 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति (ii) दिनांक 25.02.2011 से अधिनिर्णय सुनाने की तिथि तक 3 महीने की छूट +4% की दर से ब्याज (iii) अधिनिर्णय सुनाने की तिथि से पूरा भुगतान होने तक (i) एवं (ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उल्लेख किया।

आइ.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की माँग भी की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर कंपनी की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाख़िल करे, जिसे दाख़िल कर दिया गया है।

कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग ने दिनांक 30 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया।

दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 को देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के दिनांक 30 मई, 2018 के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को माननीय न्यायालय ने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए और नगर व्यवहार न्यायालय के समक्ष धारा 9 और धारा 34 चुनौती याचिका के तहत मध्यस्थता आवेदन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को कंपनी ने न्यायिक अधिकार क्षेत्र मामलों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय के कुछ अवलोकनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए लंबित देवास की विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न किया गया था।

विद्वान न्यायाधीश से आगे प्राप्त सुझाव पर, दिनांक 28.02.2017 के दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अलग से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। उक्त तीन विशेष अनुमति याचिकाएँ (एस.एल.पी) एक साथ आबद्ध की गई हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

यहाँ तक कि आइ.सी.सी. मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्थता आवेदन तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII से पठ्य धारा 26 के अंतर्गत दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आइ.सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा देवास द्वारा मध्यस्थता की प्रार्थना करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को आइ.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आइ.सी.सी. न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के मध्यस्थता आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आइ एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया।

कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थता मुकदमा भी दायर की। देवास ने बेंगलूरु नगर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकार-क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया।

दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को कंपनी ने बेंगलूरु शहर के अधिसूचित/अभिहित ज़िला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष इन तीन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अलग से स्मारपत्र दाख़िल किया। आगे, नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के मनोनीत वाणिज्यिक न्यायालय में दीवानी मुकदमा को स्थानांरित किया गया था जहाँ दलील पूरी हो चुकी है और दोनों पक्षों द्वारा लिखित निवेदन प्रस्तुत की गई है। कथित दीवानी मुकदमा अभी विचाराधीन है।

हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 और धारा 34 से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा रखा है।

दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था और पेरिस के प्रथम वादी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 का एक्सक्वाटर आदेश प्राप्त कर लिया। एन्ट्रिक्स ने इस एक्सक्वाटर आदेश के विरुद्ध पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की। पेरिस के अपीलीय न्यायालय ने, दिनांक 27 मार्च, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 के अपने एक्सक्वाटर आदेश की पुष्टि की और एन्ट्रिक्स को कार्यवाही की फीस एवं व्यय के भुगतान का आदेश दिया और देवास को फ्रेंच कोड की सिविल प्रक्रिया के अनुच्छेद 700 का अनुसरण करते हुए 1,00,000 यूरो का भुगतान करने को कहा। कंपनी ने, दिनांक 27 मार्च, 2018 के आदेश के विरुद्ध दिनांक 29 अगस्त, 2018 को अपील दायर की और फिर इसके बाद फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 फरवरी, 2019 को विस्तृत पुनरावेदन याचिका दाखिल की।

देवास ने दिनांक 27 जून, 2019 को गुण-दोष के आधार पर अपना जवाब दाख़िल किया और अधिनिर्णीत लागत के भुगतान नहीं होने के आधार पर कंपनी की अपील को ख़ारिज करने के लिए न्यायालय की आज्ञा के लिए कोई प्रार्थना भी प्रस्तुत नहीं की। चूँकि कंपनी द्वारा दाख़िल लंबित अपील स्वत: लागत अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील ज़ाहिर करता है जो कंपनी के पक्ष में अपील के निर्णय आते ही स्वयं समाप्त हो जाएगा। यह निर्णय लिया गया था कि देवास को 1,00,000 यूरो का भुगतान अभी नहीं करना है और फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी है।

फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जनवरी, 2020 को मामले की सुनवाई की और दिनांक 04 मार्च, 2020 को फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया जिसमें इसने दिनांक 27 मार्च, 2018 मामला वापस भेज दिया, यह समादेश देते हुए कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भूल की है कि एन्ट्रिक्स की यह दलील कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अनुचित गठन हुआ है, अमान्य थे। फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने एन्ट्रिक्स को लागत के तौर पर 3000 यूरो के भुगतान हेतु देवास को निर्देश दिए। एन्ट्रिक्स के वकील के अनुसार, पेरिस के अपीलीय न्यायालय द्वारा एन्ट्रिक्स पर लागू किए गए 1,00,000 यूरो का लागत निर्णय का भुगतान देवास को नहीं करना है क्योंकि अपील का निर्णय कंपनी के पक्ष में हुआ है।

परिणामस्वरूप, पेरिस के प्रथम मुकदमा न्यायालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 के एक्सक्वाटर आदेश के विरूद्ध एन्ट्रिक्स ने दिनांक 20 मार्च, 2020 को पेरिस के अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है।

देवास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय में आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए कार्यवाही की पहल की है। कंपनी ने याचिका ख़ारिज़ करने के लिए न्यायालय की आज्ञा हेतु प्रार्थना प्रस्तुत की है । वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय ने देवास द्वारा आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए दाख़िल याचिका को रद्द करने और उसका विरोध करने वाली कंपनी की याचिका और न्यायालय की आज्ञा हेतु प्रार्थना-पत्र को दिनांक 16 अप्रैल, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, भारतीय न्यायालयों में आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को कंपनी द्वारा दी गई चुनौती के समाधान के लंबित होने के कारण न्यायालय ने आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए यानी दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

इसके बाद, दिनांक 10 जुलाई, 2019 के अपने आदेश में न्यायालय ने प्रतिज्ञापत्र भरने की शर्त के साथ स्थगन-अनुदान को जोड़ने के देवास के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक बिना किसी प्रतिभूति/प्रतिज्ञापत्र के स्थगन-अनुदान का आदेश दिया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को भारत में मुक़दमे की संयुक्त स्थिति रिपोर्ट दाख़िल करने का निर्देश दिया और कहा कि दिनांक 15 अप्रैल, 2020 तक या उससे पहले न्यायालय स्थगन समाप्त करे या बढ़ा दे। हालाँकि, दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध के आधार पर, इस समय-सीमा को 15 जून, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। न्यायालय के अगले आदेश तक, मामले पर रोक को भी और बढ़ा दिया गया है।

इस विवाद के संबंध में, अन्य की तुलना में,एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) बनाम अलिमेंटा एस.ए. (2012 की दीवानी अपील सं. 667) के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उक्त निर्णय में, एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) के विरूद्ध पारित मध्यस्थता निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के चलते अवैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उक्त निर्णय भारत के मौलिक कानून के विरूद्ध था क्योंकि नफेड द्वारा बिना सरकारी आदेश के कोई निर्यात नहीं किया गया है जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ हो।

अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से विधि मंत्रालय, भारत सरकार/निगरानी प्रकोष्ठ के साथ परामर्श करके अगली कार्रवाई की जा रही है।

48. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इसप्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर (₹ लाखों में)	नामे / जमा	लाभ तथा हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते एवं परिसंपत्ति एवं देयता	6.68 (394.11)	नामे जमा	विविध आय में जमा किया गया (विविध आय में नामे किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं।

49. कंपनी ने वर्ष 2017-18 में इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति हेतु आइसीएआइ से उनका विचार जानना चाहा था। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस खण्ड से प्राप्त राजस्व ₹1,19,093.92 लाख (विगत वर्ष ₹1,08,605.41 लाख) है | उनके मतानुसार, अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किए जाने वाले शेयर के प्रति कंपनी जवाबदेह है | कंपनी ने उनके मत को स्वीकार किया है और उनके मतानुसार ही इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा रखा है |

50. कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं | संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक अपने उपग्रह के प्रमोचन की तिथि से सात वर्षों के लिए जगह साझा (ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे। यह सुविधा उपयोग के लिए उपलब्ध है। यह सुविधा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है। इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं। संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक अपने उपग्रह के प्रमोचन की तिथि से सात वर्षों के लिए जगह साझा (ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे। यह सुविधा उपयोग के लिए उपलब्ध है | इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य ₹11,130 लाख (लागू होने वाले माल सेवा कर सहित निर्धारित किया गया है जो ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति का उचित मूल्य निर्दिष्ट करता है | प्रचालनों से प्राप्त राजस्व [पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान नोट सं. 25(बी)(i)] में ₹8,575.07 लाख) की शुद्ध आय (माल सेवा कर छोड़कर) भी शामिल है।

51. निर्गत गारंटी के बदले में प्रतिभूति के तौर पर और प्रतिभूति जमा के एवज में केनरा बैंक में ₹0.47 लाख (विगत वर्ष ₹0.47 लाख) की सावधि जमाराशि शामिल है जिसे प्रतिभूति जमा के एवज में "वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त", जिला-"V" परिमंडल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत रखा गया है।

52. कंपनी के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 163,50,000 यूरो, ₹13,776.51 लाख के समतुल्य (विगत वर्ष 164,72,500 यूरो, ₹12,632.76 लाख के समतुल्य), की निर्गत गारंटी के बदले में कंपनी ने ₹13,679.23 लाख (विगत वर्ष ₹13,789.23 लाख) की राशि उनके साथ सावधि जमा के तौर पर बंधक रखे हुए है। हालाँकि, कंपनी उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है। फिलहाल, भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस) -37 में "प्रावधान" का कोई प्रसंग पारिभाषित नहीं है।

53. कंपनी ने, वैसे ग्राहक जिनके साथ करार समाप्त को चुका है, को छोड़कर, सभी ग्राहकों से 31 दिसम्बर, 2019 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है। अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखा पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

54. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2020 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है |.

55. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹1,44,440.44 लाख आकस्मिक देयता जो नोट-सं.45(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है।

56. प्रमोचन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी, "स्व-बीमा" नीति के अंतर्गत ग्राहक से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए क्षेत्र को अनुरक्षित और विस्तृत करने के लिए उत्तरदायी है। इस नीति में, प्रमोचन काल के दौरान मृत्यु सहित शारीरिक चोट लगने और इसरो के प्रमोचन यान का उपयोग करके समर्पित और सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचित करने के दौरान तीसरे पक्ष के उत्पादों को हुई हानि के लिए कानूनी देयता शामिल है | इसरो, प्रत्येक प्रमोचन के लिए स्व-बीमा नीति का अनुसरण करता है। इसप्रकार, कंपनी के लिए तीसरा पक्ष देयता बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

57. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार वापसी आयकर बकाया (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2013-14	19.23	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया।
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2017-18	1,823.68	जाँच आकलन लंबित है।
2018-19	1,967.23	जाँच आकलन लंबित है।
2019-20	1,796.25	विवरणी भरा जाना बाकी है।
कुल	**9,042.63**	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त सारणी में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस का ब्योरा दिया गया है, के बीच सामंजस्य प्रगति पर है। सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखाविधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

58. कंपनी ने यहाँ तक कि प्रतिधारित आय से विनियोजन द्वारा अपने दायित्व के मद्देनज़र कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधि का सृजन किया है। कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप संबंधी प्रतिबद्धता के प्रावधानों की सीमा को स्पष्ट करते हुए आइ.सी.ए.आइ ने एक आइ.टी.एफ.जी बुलेटिन जारी किया है। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप निधि में बची हुई राशि को प्रतिधारित आय में स्थानांतरित कर दिया गया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में व्यय नहीं हो पाई राशि से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन क्रियाकलाप संबंधी प्रतिबद्धताओं हेतु प्रावधान का सृजन किया है।

59. कंपनी, इण्ड एएस 10 की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्ती क्रियाकलापों का प्रतिवेदन करती है:-

i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर निर्भर है। दिनांक 19 जून, 2020 को कंपनी के निदेशकमंडल ने अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन मिलने पर दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,250/- प्रति शेयर के अंतिम लभांश का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, और यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसके चलते ₹8,500 लाख का नकद प्रवाह होगा।

ii. दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से अंतरिक्ष खंड प्रभार (भारतीय उपग्रह) से व्यापार में कमी होने के कारण, कंपनी के भावी राजस्व और लाभ पर विशेष प्रभाव पड़नेवाला है।

60. कोविड-19 (वैश्विक महामारी) का प्रभाव:

कंपनी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है। कंपनी का अनुमान है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति के चलते इसके संचालन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हालाँकि, सेवा-क्षेत्र में ग्राहकों पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का आकलन करना बाकी है।

61. विगत वर्ष के सामग्री वर्गीकरण के आँकड़ों के विवरण:

क. अन्य चालू परिसंपत्ति - नोट सं. 15 एवं अन्य दीर्घकालीन देयता - नोट सं.23

₹12,059 लाख की आउटपुट जी.एस.टी देयता जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अबतक अन्य चालू देयता में दिखलाया गया है (नोट सं.23), इनपुट जी.एस.टी परिसंपत्ति के प्रति निवलित किया गया है और निवल राशि को नोट सं.15 में प्रकट किया गया है। वर्गीकरण, इण्डएएस 1 - वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के समरूप है।

ख प्रचालन से राजस्व - नोट सं. 25, अन्य आय - नोट सं. 26 एवं प्रचालन से राजस्व की लागत - नोट सं. 27

वैकल्पिक प्रचालन सेवाएँ [सकल राजस्व ₹65.91 लाख में से कम किए गए व्यय ₹20.31 लाख] जिसे अबतक प्रचालन से राजस्व के अंतर्गत दिखलाया गया था, को अन्य आय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इस व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

ग. कर्मचारी लाभ व्यय - नोट सं. 30 एवं अन्य व्यय - नोट सं. 31

i. ₹322.65 लाख की कर्मचारी लागत की अंतरिक्ष विभाग/इसरो को प्रतिपूर्ति जिसे अबतक अन्य व्यय -नोट सं. 31 के अंतर्गत दिखलाया गया था, को कर्मचारी लाभ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यह कंपनी के लिए काम कर रहे अंतरिक्ष विभाग/इसरो के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को दर्शाता है।

ii. पारिभाषित लाभ योजना के पुनर्मापन को दर्शाने वाली अन्य व्यापक आय (₹3.64 लाख के कर निवल) जिसे अन्य एक्विटी के तौर पर ग़लत ढंग से दिखलाया गया था, को सही कर लिया गया है।

घ. प्रति शेयर आय

ग (ii) में इंगित वर्गीकरण के प्रभाव के कारण,प्रति शेयर आय को सुधार ₹3,903.76 कर दिया गया है।

ङ. नकद प्रवाह विवरणी

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप ₹688.92 लाख के व्यय जिसे वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह के अंतर्गत दिखलाया गया था, उसे सही करके प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह अंतर्गत प्रकट किया गया है

नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन और अधिक स्पष्टता के लिए वर्गीकरण किया गया है।

62. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रुपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी ज़रुरत पड़ी, विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव ॲसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन
सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जून 2020

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट 31 का परिशिष्ट

31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय राशि का विवरण

राशि ₹ लाख में

विवरण	31.03.2020 तक वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े	31.03.2019 तक पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े
कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु अग्रेनीत बिना व्यय की गई राशि	922.82	957.74
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय हेतु आबंटित राशि	725.00	654.00
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय की जानी वाली कुल राशि	**1,647.82**	**1,611.74**
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, केरल हेतु योगदान	50.00	-
कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण, कर्नाटक हेतु योगदान	50.00	
पी. एम. केयर कोष हेतु योगदान	500.00	
विद्यालय एवं महाविद्यालय में संबंधित शैक्षिक एवं इससे जुड़े अन्य क्रियाकलाप	92.87	119.84
शिरोपरि टंकी का निर्माण	-	34.16
स्वच्छ गंगा कार्यक्रम हेतु योगदान	-	5.00
ग्राम विकास	166.85	127.74
वंचित महिला सामुदायिक कार्यक्रम हेतु पुनर्वास एवं दीर्घकालिक जीविकोपार्जन साधन	36.70	-
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए.एफ़.एफ़.डी.एफ़) में युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मेसर्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को योगदान	-	5.00
महिला सशक्तिकरण	7.75	13.20
वेम्बनाड झील में, वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम	185.53	41.95
बंदीगृह में रहने वाले कैदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए महानिदेशक, बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवा, तेलंगाना के लिए योगदान	26.33	5.67
विद्यालयों, अस्पतालों, घरों, समुदायों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की स्वच्छता	234.24	222.62
दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण एवं सहायक सामग्री	8.39	84.33
पाँवफिरा रोग से ग्रसित दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट को योगदान	43.03	6.21
चिकित्सीय सहायता एवं स्वास्थ्य देखभाल	74.43	5.97
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए परामर्शिता शुल्क	17.39	16.44
सौर ऊर्जा सहायक प्रणाली	41.98	-
मिश्रित सी.एस.आर व्यय	0.33	0.79
कुल व्यय	**1,535.82**	**688.92**
कंपनी द्वारा व्यय किए जाने के लिए अग्रेनीत शेष राशि	**112.00**	**922.82**
व्यय हेतु बाकी प्रतिबद्ध देयता व्यय में शामिल	**553.98**	**-**

इण्ड ए.एस. 24 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण का ब्योरा - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण-शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट 16 का परिशिष्ट

तुलनपत्र तैयार किए जाने की तिथि के तुरंत पहले तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े

राशि ₹ लाख में

विवरण		31.03. 2020 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2016 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2015 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	₹100/- प्रत्येक की दर से ₹340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	₹100/- प्रत्येक की दर से ₹340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर
(iii)	पुन: खरीदे गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	₹100/- प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य पर ₹0.40 लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर की पुन: खरीदारी	शून्य	शून्य	शून्य

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094
दूरभाष : + 91 80 2217 8302/11, फैक्स : + 91 80 2217 8337
वेबसाइट : www.antrix.co.in